Rs. 15

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

नवम्बर 2010

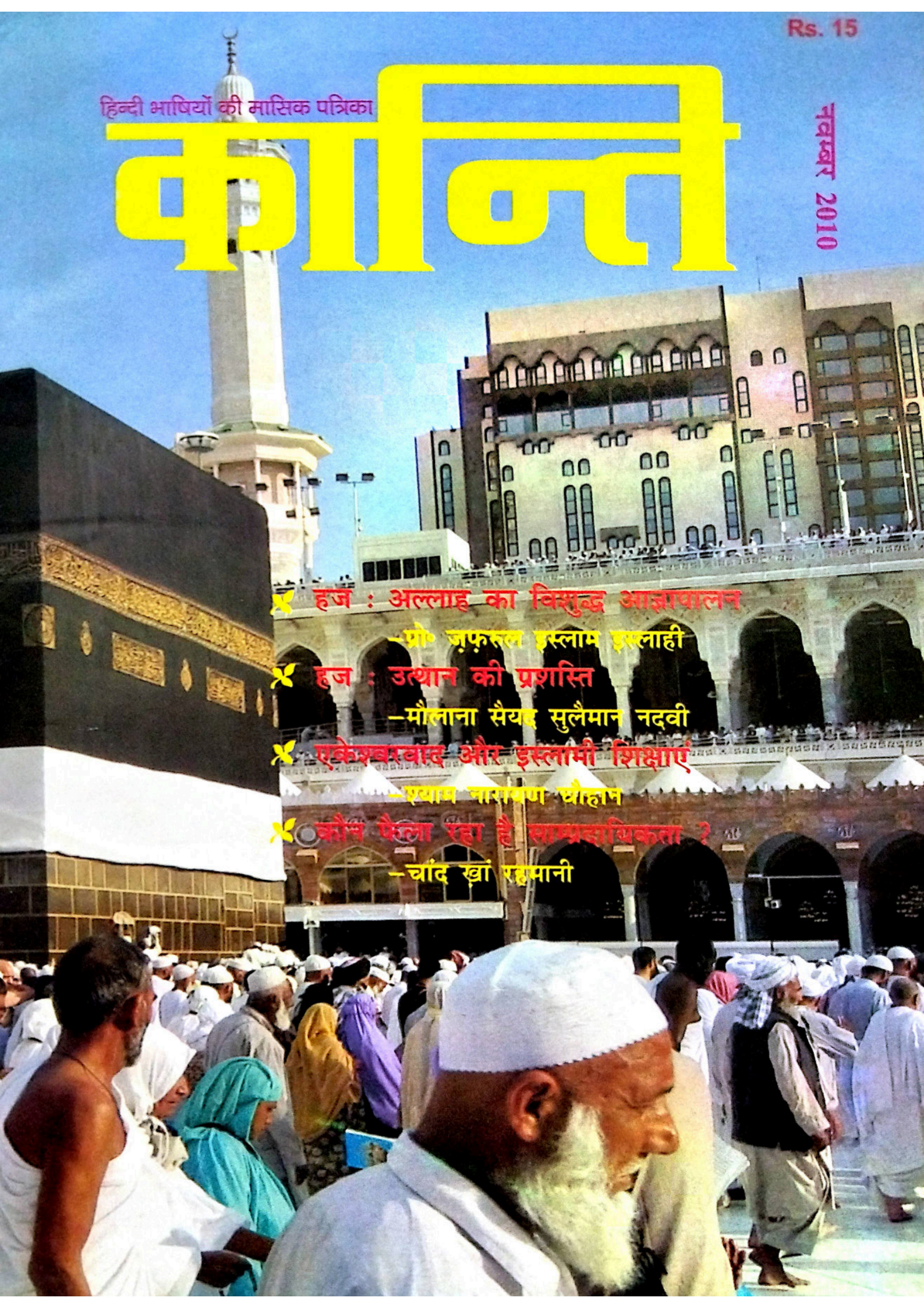

- हज : अल्लाह का विशुद्ध आज्ञापालन
  –प्रो॰ ज़फ़रुल इस्लाम इस्लाही
- हज : उत्थान की प्रशस्ति
  –मौलाना सैयद सुलैमान नदवी
- एकेश्वरवाद और इस्लामी शिक्षाएं
  –श्याम नारायण चौहान
- कौन फैला रहा है साम्प्रदायिकता ?
  –चांद ख़ां रहमानी

OXFAME

Makes you fluent

Spoken and Written ENGLISH

Foundation & Advance

by : Yaqub Ashrafi

Improve Your

Personality

Pronunciation

Poise

THE FAST AND EASY WAY TO LEARN SPOKEN ENGLISH

H. O. Deep Ganga Complex, Ist Floor,
Ashok RajPath, Patna-4,
Ph. : 0612-6456891
E-mail : ashrafi.yaqub@gmail.com

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 20 अंक 6 नवम्बर 2010

याद करो जबकि हमने इबराहीम के लिए अल्लाह के घर को ठिकाना बनाया, इस आदेश के साथ कि "मेरे साथ किसी चीज़ को साझी न ठहराना और मेरे घर को तवाफ़ (परिक्रमा) करने वालों और खड़े होने और झुकने और सजदा करने वालों के लिए पाक-साफ़ रखना।"

(कुरआन, 22:26)

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

फोन–(011)–26949430

ई मेल kantimasik@gmail.com

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-

वार्षिक रु० 160/-

दो वर्ष 300/- पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

नोट–चेक / ड्राफ़्ट 'मासिक कान्ति' के नाम से बनवाएं

ग़ज़ल

आदमी बेचैन है, बदहाल है, रंजीदा[1] है
ऐ मेरे एहसास, तू आख़िर कहां ख़्वाबीदा[2] है

शुक्र है उस पर किसी की भी नज़र जाती नहीं
मुस्कराहट में हमारी कर्ब[3] जो पोशीदा[4] है

दो घड़ी मिल बैठने से सब पता चल जाएगा
जो बज़ाहिर ख़ुश है वो भी अस्ल में रंजीदा है

उस तरफ़ मत देखिए, मत देखिए, मत देखिए
वो नज़र भी काम कर जाएगी जो दुज़्दीदा[5] है

जितना सुलझाओगे यह उतना उलझता जाएगा
मस्अला तक़दीर का यारो बहुत पेचीदा है

अक़्ल भी नामुअ्तबर[6] है, इश्क़ भी नामुअ्तबर
इस ज़माना में न यह मुख़्लिस[7] न वो संजीदा[8] है

यूं तो हर आंसू है मेरी आंख का तारा 'हफ़ीज़'
जो ग़मे-जानां[9] ने बख़्शा आबरूए-दीदा[10] है

● **हफ़ीज़ मेरठी**

---

1. दुखी 2. सुप्त, सोने और नींद लेने का भाव 3. बेचैनी, पीड़ा, व्याकुलता 4. छिपी हुई 5. तिरछी नज़र 6. अविश्वसनीय 7. निस्स्वार्थ 8. गंभीर 9. प्रिय के ग़म 10. आंख की आबरू, शर्म।

❖

कितने ही अच्छे हों काग़ज़ पानी के रिश्ते
काग़ज़ की नावों से दरिया पार नहीं होता।

❖

रास्ता दिखलाएंगी ये रास्ते की अड़चनें
ये अंधेरे ही किसी दिन रोशनी हो जाएंगी।

❖

हार के माने मन तो कोई हार नहीं होती
हिम्मत से ऊंची कोई दीवार नहीं होती।

● **अशोक रावत**



कहां क्या है ?

ग़ज़ल	–हफ़ीज़ मेरठी	3
क़ुरआन ज्योति		5
अल्लाह ने जो कुछ दिया है उस पर संतोष (हदीस मंजरी)		6
हज : सामूहिकता का जीवंत प्रदर्शन (संपादकीय)		7
जाति प्रथा के दुष्परिणाम (आपके पत्र)		8
हज़रत बरीरा 'रज़ि॰' (नेकी के सिपाही)	–तालिब हाशमी	15
एकेश्वरवाद और इस्लामी शिक्षाएं	–श्याम नारायण चौहान	19
कौन फैला रहा है साम्प्रदायिकता ? (विचार)	–चांद ख़ां रहमानी	23
हज : अल्लाह का विशुद्ध आज्ञापालन	–प्रो॰ ज़फ़रुल इस्लाम इस्लाही	26
हज : उत्थान की प्रशस्ति	–मौलाना सैयद सुलैमान नदवी	30
हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) के आदर्शों का अनुसरण करें	–विद्या प्रकाश	31
हलाल मांस का ही भक्षण क्यों ? (सवाल-जवाब)		33
अंग्रेज़ और कर्नाटक के नवाब	–पंडित सुन्दरलाल	35
अभिमत		39
लघुकथाएं		41
प्राकृतिक धर्म-इस्लाम	–मौलाना मुहम्मद जिरजीस करीमी	43
गुरु मंत्र (कहानी)	–प्रेम चन्द	45
पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क (जानकारी)	–विद्या प्रकाश	47
बालवीथी		49

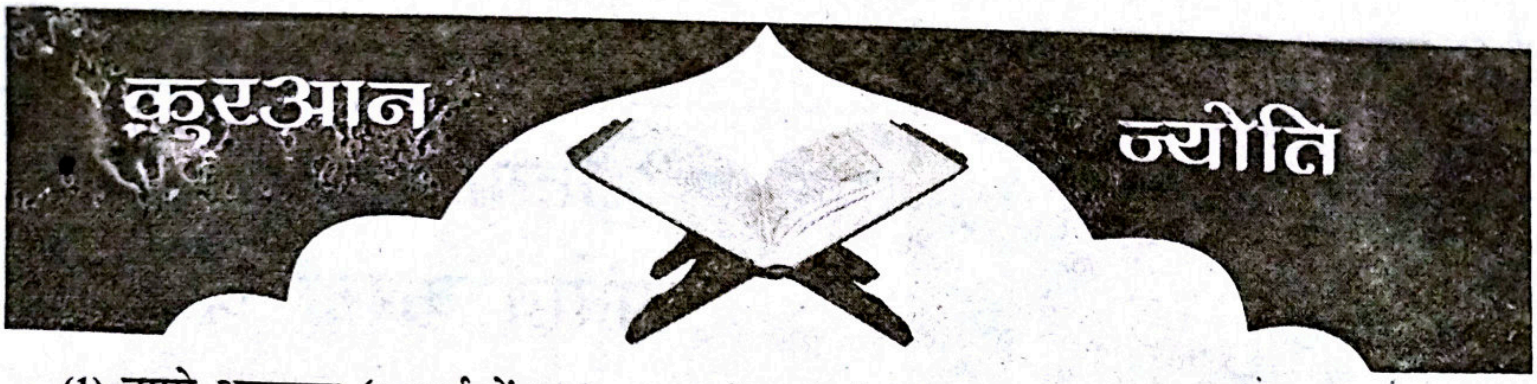

(1) तुमसे अनफ़ाल (लड़ाई में प्राप्त माल) के बारे में पूछते हैं ? कहो, "ये अनफ़ाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं, तो तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के ताल्लुक़ात ठीक-ठाक रखो और अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञापालन करो, अगर तुम ईमानवाले हो ।[1]" –क़ुरआन, 8 : 1

1. यह लड़ाई की उस समीक्षा की अनोखी प्रस्तावना है । बद्र की लड़ाई में जो माल कुरैश की सेना से प्राप्त किया गया था, उसके बंटवारे पर मुसलमानों में विवाद खड़ा हो गया । चूंकि इस्लाम अपनाने के बाद उन लोगों को पहली बार इस्लामी झंडे के तहत लड़ने का संयोग प्राप्त हुआ था, इसलिए उनको मालूम न था कि इस व्यवस्था में लड़ाई और उससे पैदाशुदा समस्याओं के बारे में क्या नियम हैं, इसलिए बद्र की लड़ाई में शत्रुओं की पराजय के बाद जिन लोगों ने जो-जो कुछ माल प्राप्त किया था, वे अरब के पुराने तरीक़े के अनुसार अपने आपको उसका मालिक समझ बैठे थे। (बाक़ी लोगों में एक गिरोह उन लोगों का था जिन्होंने) ग़नीमत के माल की ओर ध्यान देने के बजाय शत्रुओं का पीछा किया था, (और दूसरा गिरोह उन लोगों का था जो अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की रक्षा कर रहा था। उन दोनों गिरोहों ने भी अपना-अपना दावा पेश किया, और इस तर्क के साथ पेश किया कि अगर उसने वह सेवा न की होती, जो की है, तो न लड़ाई में यह विजय मिलती और न लड़ाई का माल हाथ आया होता ।) परन्तु माल, व्यावहारिक रूप से जिस फ़रीक़ के क़ब्ज़े में था, उसकी मिल्कियत के लिए मानो किसी प्रमाण की ज़रूरत न थी और वह दूसरों का कोई तर्क मानने के लिए तैयार न था । अन्ततः इस विवाद ने कटुता का रूप धारण कर लिया और ज़ुबानों से दिलों तक कड़ुवाहट फैलने लगी ।

यह थी वह मनोवैज्ञानिक स्थिति जिसे अल्लाह तआला ने सूरा अनफ़ाल अवतरित करने के लिए चुन लिया और लड़ाई पर अपनी समीक्षा का आरंभ इसी समस्या से किया, और इस समीक्षा का पहला ही वाक्य यह था, "तुमसे अनफ़ाल (लड़ाई में प्राप्त माल) के बारे में पूछते हैं ?" यह उन ग़नीमत के मालों को, जो बद्र की लड़ाई में मुसलमानों के हाथ आये थे, ग़नायम (ग़नीमत) के बजाय 'अनफ़ाल' शब्द से व्यक्त करना अपने आपमें समस्या का हल अपने भीतर रखता था । अनफ़ाल बहुवचन है नफ़्ल का । अरबी भाषा में नफ़्ल उसे कहते हैं जो वाजिब सै या अधिकार से अधिक हो । जब यह अधीन की ओर से हो तो इससे तात्पर्य वह स्वयंसेवा है ज़ो एक दास अपने स्वामी के लिए कर्तव्य से भी बढ़कर करता है, जैसे नफ़्ल नमाज़ । और जब यह स्वामी की ओर से हो तो इससे तात्पर्य वह उपहार और पुरस्कार होता है तो स्वामी अपने दास को उसके 'हक़' से अधिक देता है ।

अतः कहने का अर्थ यह हुआ कि यह सारा विवाद क्या अल्लाह के प्रदान किये हुए पुरस्कारों के बारे में हो रहा है ? अगर यह बात है तो तुम लोग इनके मालिक और अधिकारी कहां बने जा रहे हो कि स्वयं उनके बंटवारे का निर्णय करो । माल जिसका दिया हुआ है वही निर्णय करेगा कि किसे दिया जाए और किसे नहीं । और जिसको भी दिया जाए उसे कितना दिया जाए । यहां 'अनफ़ाल' के विवाद को केवल इतनी बात कहकर समाप्त कर दिया है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के हैं । बंटवारे की समस्या को यहां नहीं छेड़ा गया, ताकि पहले समर्पण और आज्ञापालन पूर्ण हो जाए । फिर कुछ आयतों के बाद बताया गया कि उन मामलों को कैसे बांटा जाए । इसीलिए यहां उन्हें 'अनफ़ाल' कहा गया है और आयत 41 में जब बांटने का आदेश देने का अवसर आया, तो इन्हीं मालों को 'ग़नीमतों' के शब्द से व्यक्त किया गया।

पवित्र क़ुरआन
को इंटरनेट पर पढ़िए
www.quranhindi.com



अल्लाह ने जो कुछ दिया है उस पर संतोष करना चाहिए

● हज़रत उबैदुल्लाह बिन अल-अंसारी बिन अल-ख़ुतमी (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "तुममें से जो व्यक्ति दिन का आरभ इस हाल में करे कि अपने प्राण के प्रति निश्चिंत हो, उसका शरीर ठीक हो, उसके पास एक दिन की ख़ुराक मौजूद हो, तो मानो उसे दुनिया और उसकी सारी चीज़ें मिल गयीं।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन' है ।

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "वह व्यक्ति सफल हो गया जिसने इस्लाम क़ुबूल कर लिया, और उसके पास ज़रूरत के अनुसार आजीविका हो, और अल्लाह ने जो कुछ उसे दिया हो उस पर वह राज़ी हो ।" –मुस्लिम

● हज़रत जाबिर (रज़ि॰) कहते हैं कि हम ख़ंदक़ के युद्ध के अवसर पर ख़ंदक़ खोद रहे थे कि एक कठोर चट्टान का टुकड़ा सामने आ गया । सहाबा नबी (सल्ल॰) के पास गये और कहा : यह कठोर चट्टान का टुकड़ा सामने आ गया है । आपने कहा : "मैं उतरूंगा ।" फ़िर आप उठे हालत यह थी कि (भूख के कारण) आपके पेट पर पत्थर बंधा हुआ था और हमने भी तीन दिन से कुछ चखा न था । नबी (सल्ल॰) ने कुदाल ली और (पत्थर पर) चोट लगायी, तो वह ऐसा हो गया जैसे बालू का ढेर हो । मैंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), मुझे घर जाने की इजाज़त दे दें । फिर मैंने अपनी स्त्री से कहा कि मैंने नबी (सल्ल॰) को इस हालत में देखा है कि सब्र नहीं कर सकता । क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है ? उसने कहा : मेरे पास कुछ जौ और बकरी का एक बच्चा है । मैंने बकरी के बच्चे को ज़िब्ह किया और जौ को पीसा और मांस को हांडी में डाल दिया । फिर मैं नबी (सल्ल॰) के पास आया । उस वक़्त आटा रोटी पकाने के योग्य हो गया था और हांडी चूल्हे के ऊपर पकने के क़रीब हो गयी थी । मैंने कहा : मेरे पास कुछ खाना है, तो ऐ अल्लाह के स्सूल (सल्ल॰) आप उठें और एक या दो आदमी और चलें । आपने कहा : "कितने हों ?" मैंने आपको बताया । आपने कहा : "ज़्यादा हों तो अच्छा है । अपनी स्त्री से कहो कि वह हांडी को न उतारे और न तंदूर से रोटी निकाले जब तक कि मैं न आ जाऊं ।" आपने कहा : "उठो ।" अतएव महाजिर और अंसार उठ गये । मैं अपनी स्त्री के पास आया और कहा : तुम पर रहमत हो । नबी (सल्ल॰), मुहाजिर और अंसार और जो लोग उनके साथ हैं सब आ रहे हैं । वह बोली : क्या आपसे पूछ लिया है ? मैंने कहा कि हां । आपने कहा : "प्रवेश करो और भीड़ मत करो । फिर आप रोटी तोड़ने लगे और उनके ऊपर गोश्त डालने लगे और हांडी और तंदूर को ढक देते जब उसमें से लेते और उसे अपने सहाबा के क़रीब करते, फिर उतारते । आप निरंतर इसी तरह रोटी तोड़ते रहे और उसके ऊपर सालन डालते रहे यहां तक कि सबका पेट भर गया और उसमें से कुछ बच भी रहा । फिर आपने (हज़रत जाबिर की पत्नी से) कहा : "इसे खाओ और भेंट स्वरूप भेजो भी क्योंकि लोग भूख से दो-चार हैं ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

हज : सामूहिकता का जीवंत प्रदर्शन

दुनिया की इबादतगाहों में ईश्वर का पहला घर वह है जिसे काबा के नाम से जाना जाता है । ईश्वर ने इसे सर्वथा भलाई, बरकत और सारे संसार के मार्गदर्शन का उद्‌गम बनाया है । यह एकेश्वरवाद और विशुद्ध धर्म के आह्‌वान का स्रोत है । यह सन्मार्ग का ज्योतिपुंज और मानव जाति का शरण स्थल व शान्ति का घर है । हज काबा की ज़ियारत व इससे संबद्ध अन्य अनुष्ठान को कहते हैं । हज जीवन में हर उस व्यक्ति पर एक बार फ़र्ज़ (अनिवार्य) है जो मक्का यात्रा की शक्ति रखता हो और जिसके पास इतना धन हो कि वह यात्रा का ख़र्च पूरा कर सके तथा मार्ग सुरक्षित हो । नमाज़, ज़कात और रोज़ा की तरह हज का उद्देश्य भी मानव जीवन को भक्तिमय बनाना है । यह इस्लाम का पांचवां तथा अंतिम स्तंभ है इसलिए इसका महत्व और प्रभाव भी सबसे अधिक है । नमाज़ पढ़ने, ज़कात देने और रोज़ा रखने में मनुष्य को न पत्नी और संतान को छोड़ना पड़ता है और न घर गृहस्थी और कुटुंब परिवार को, न उद्योग, व्यवसाय को, न शासन और अधिकार को, न नगर और देश को । परन्तु हज के लिए इन सबका परित्याग कर देना पड़ता है । इबादत-भक्ति तथा ईश्वर प्रेम की वह कितनी अथाह भावना होती है जो मनुष्य को अपनी समस्त प्रिय वस्तु छोड़ देने के लिए तैयार कर देती है । नमाज़, ज़कात और रोज़े का प्रभाव व्यक्ति, समाज, अधिक से अधिक नगर तथा देश पर पड़ता है परन्तु हज का असर सारे संसार पर पड़ता है । हज नियत समय पर होता है और अधिक या कम सभी देशों के मुसलमान हज करने जाते हैं । हज ज़िलहिज्जा मास में होता है जो इस्लामी वर्ष का बारहवां मास है । काबा की विशेषता क्या है ? यह जान लेना भी आवश्यक है । इस्लाम सारी मानव जाति का ईश्वर प्रदत्त सनातन तथा सार्वभौम धर्म है ।

संसार में जितने ईशदूत हुए इस्लाम के सन्देश वाहक और पैग़म्बर थे । उन्हीं में हज़रत इबराहीम (अलैहि०) एक महान ईशदूत थे, हज़रत मूसा (अलैहि०) और हज़रत ईसा (अलैहि०) उन्हीं के संतान थे, हज़रत इबराहीम (अलैहि०) के पुत्र हज़रत इस्माईल (अलैहि०) की संतान मक्का की क़ुरैश जाति थी जिनमें अन्तिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पैदा हुए । मक्का के पवित्र उपासनागृह काबा को अब से साढ़े चार हज़ार वर्ष पूर्व हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ही ने अपने पुत्र हज़रत इस्माईल (अलैहि०) के सहयोग से निर्मित किया था और यह हज की प्रथा उन्हीं की चलायी हुई है । संसार भर की मस्जिदें काबा के अधीन मानी जाती हैं तथा इसी की दिशा में बनायी जाती हैं ताकि संसार भर के मुसलमान इस्लाम के केन्द्र की ओर मुंह करके नमाज़ पढ़ें और इस प्रकार अपने केन्द्र से संबंधित और धर्म भावना के एक सूत्र में बंधे रहें तथा यह भावना उनमें जाग्रत रहे कि वे विभिन्न क्षेत्रों और देशों में बसते हुए भी एक सार्वभौम इस्लामी बिरादरी के सदस्य हैं । इस सार्वभौम इस्लामी बिरादरी को स्थापित रखने के लिए साल में एक बार हज का विधान बनाया गया है ताकि इस अवसर पर संसार के कोने-कोने में बसने वाले मुसलमान इस्लाम के केन्द्र में एकत्र हों, एशिया के रहने वाले भी, अफ़्रीक़ा के रहने वाले भी तथा यूरोप और अमेरिका के रहने वाले भी, गोरे भी, काले भी, लाल भी–सब एक-दूसरे से मिलें, सब एक-दूसरे से परिचित हों, सब सामूहिक रूप से हज करें और इस्लाम के इस संगम में सब एक हो जाएं । जिस पवित्र घर का मुसलमान हज करते हैं, वह ईश्वर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । वहां हाज़िरी देने वाला ईश्वर के नज़दीक प्रिय बन्दा है । इस स्थान का आकर्षण देखिए कि दिन और रात के चौबीसों घंटे यह कभी ग़ैर आबाद नहीं रहता । प्रत्येक समय और प्रत्येक मौसम में इसके गिर्द तवाफ़ (परिक्रमा) होता रहता है । ईदों के साथ ही रमज़ान शरीफ़ के अंतिम दस दिनों में यहां इतना मजमा रहता है कि बिल्कुल हज जैसा समां होता है ।

जातिप्रथा के दुष्परिणाम

यूं तो पूरे विश्व में जाति-प्रथा कोई नयी बात नहीं है । विश्व के अधिकांश हिस्से में गुलामी-प्रथा व्याप्त रही है जिसके समापन हेतु समय-समय पर आन्दोलन चलता रहा । भारत वर्ष में भी जाति-प्रथा का प्रचलन सदियों से विद्यमान रहा है परन्तु शर्म इस पर आती है कि यह बुराई विश्व से सिमट कर भारतवर्ष में अपना निवास बनाए हुए है । इसका प्रमुख कारण यह है कि इसे धर्म में एक पवित्र मान्यता मिल गयी तथा इसका पालन करने वालों के हाथ में स्वर्ग की कुंजी दे दी गयी । आज आधुनिक परिवेश में भी लघुत्तम से महत्तम पुरुष तक इस व्यवस्था को स्थापित करने के अभियान में जी-जान से लगे हैं । संघ एवं उसका परिवार तो इस 'पवित्र' कार्य में सदैव से अग्रणी रहा है । अपनी ब्राह्मणवादी मानसिकता को लागू करने हेतु नये-नये अनुसंधान करने का अधिकार तो संघ परिवार से जुड़े लोगों को विरासत में मिल गया है ।

दलित किसी भी प्रकार से मुक्त न हो पाये इसके लिए हर रोज़ नयी सोच प्रसूत होती है । इतिहास के झरोखे में देखें तो इनके अत्याचार एवं जुल्म का क्रूर दृश्य नज़र आता है । भारतीय इतिहास के महत्तम पुरुष गोलवरकर का विचार तो लघुत्तम पुरुषों के लिए आदर्श है । जैसा कि वो "Bunch of thoughts" में लिखते हैं । ''कोई भी ऐसी बात नहीं जो यह सिद्ध कर सके कि जाति-व्यवस्था ने हमारे सामाजिक विकास में बाधा डाली है । अस्ल में इसने हमारे समाज में एकता बनाए रखने में मदद की है । ...ईरान, मिस्र, यूरोप तथा चीन मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा आत्मसात कर लिए गये क्योंकि वहां जाति-प्रथा नहीं थी । भारत में भी जहां जाति प्रथा बौद्ध के कारण कमज़ोर थी वहां की जनता शीघ्र ही मुसलमान हो गयी ।''

निस्सन्देह यह सत्य है परन्तु जनता के मुसलमान होने का कारण जाति-प्रथा की कमज़ोरी नहीं बल्कि जाति-प्रथा का प्रचंड अत्याचार था । वह सत्य के साथ साक्षात्कार करना चाहता था और ऐसा व्यक्ति इस्लाम की छत्रछाया में आकर मुसलमान हो ही जाता है । वह अनुभव करता है कि यही वह स्थान है जहां हम गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो

उत्कृष्ट पत्र

आतंकवाद का नया सत्य



'कान्ति' सितम्बर 2010 के अंक का मैंने अध्ययन किया । आतंक की परिभाषा को सीमित जाति धर्म, सम्प्रदाय आदि तक ही रख दिया है । परन्तु आतंकवाद का प्रकोप दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । यह केवल किसी विशेष धर्म के लिए नहीं परन्तु जिस नागरिक में देशभक्ति का पूर्णतया अभाव है तथा चन्द पैसों के लिए दूसरों का रक्त बहाने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते । इससे सच्चे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को भुला बैठे हैं । कथनी व करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए । स्वयं अपने को पंहचानो । सच्चा न्याय स्थापित हो, क़ानून का पालन पूर्णतया होना अतिआवश्यक है । बिखराव व फूट को समाप्त करना आवश्यक है । धार्मिक संकीर्णता का समावेश नहीं हो ।

उपरोक्त आलेख में श्री विश्वप्रताप भारती ने सच्चे अर्थ में उत्तर प्रस्फुटित किया है । सच्ची मानवता को चरितार्थ किया, में आभारी हूं ।

रामस्वरूप झैवर 'रूपयश'
शास्त्रीनगर विस्तार मिलन मार्बल्स के नज़दीक, भीलवाड़ा (राज०)

■ स्नेह पत्र हेतु धन्यवाद । आपको एक वर्ष तक 'कान्ति' मासिक मुफ़्त प्राप्त होगी ।

–संपादक

जाते हैं । वह विश्वास कर लेता है यही विश्व में एकमात्र पंथ है जहां यह कहने का अधिकार मिल जाता है कि "मैं ईश्वर का बन्दा हूं और सिर्फ़ उसी की बन्दगी करूंगा ।"

पक्षपातियों ने भारतीय इतिहास को इतना काला कर दिया है कि समें अंधकार के सिवाय अन्य कुछ भी नज़र नहीं आता है । धर्म शास्त्रों में मिश्रण इस हद तक कर डाला कि उसकी क़ीमत रोज़ी-रोटी हेतु मुर्दा गाय का चमड़ा उतार रहे पांच दलितों को अपने प्राण देकर चुकानी पड़ी और निर्लज्जता का यह हाल कि विहिप ने स्पष्ट तौर पर यह बयान के दे डाला कि गाय कि क़ीमत दलितों के प्राण से ज़्यादा है । इसका दूरगामी कारण सिर्फ़ यह है कि सामंतवादियों द्वारा धर्मशास्त्र में मिश्रण के परिणामस्वरूप स्पष्ट विचारों की निर्मल सरिता ब्राह्मणवाद और साम्प्रदायिकता के मरुस्थल में लुप्त हो गयी है । लाला लाजपत राय ने भी इनके दृष्टिकोण को दृढ़ बनाने हेतु विचार दे डाला कि–"भारतवर्ष में गुलामी प्रथा कभी नहीं रही और अस्पृश्यता किसी भी दशा में उतनी बुरी नहीं है जितनी की गुलामी प्रथा है । सत्ता में बने रहने का सिद्धांतहीन राजनीति का खेल इन संघियों द्वारा निरंतर खेला जाता रहा है । आधुनिक दौर में भी दलितों को मंदिर प्रवेश तथा सार्वजनिक तालाब के प्रयोग व्यावहारत: प्रतिबंधित है । जिसका जीता-जागता उदाहरण 2002 के हल्द्वानी की वह घटना है जहां सार्वजनिक चाय की दुकान में घड़े से पानी निकालने के जुर्म में दलितों को दक्षिणपंथियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया । इसी ब्राह्मणवादी अत्याचार से मानसिक पीड़ा झेल रहे 1959 बैच के दलित आई॰ए॰एस॰ बलवंत सिंह को अंतत: 1964 में त्याग पत्र दे देना पड़ा ।

जहां ईसाई और मुसलमानों पर संघ प्रायोजित हमले बढ़े हैं वहीं दलितों पर भी हमले के समाचार कम नहीं हैं । इन दक्षिणपंथियों के क्रियाकलापों को तो विश्वास करना बेमानी-सा प्रतीत होने लगता है कि भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है । यह तथ्य दिल में हलचल पैदा कर देता है कि संवैधानिक समानता का अधिकार प्राप्त होते हुए भी व्यावहारत: हिन्दू-पुरोहितों की छत्रछाया में अस्पृश्यता का कीड़ा पल-बढ़ रहा है । यह सही है संविधान की धारा 17 अस्पृश्यता को सम्पूर्ण रूप से ख़त्म कर देती है । परन्तु अस्पृश्यता रूपी कीड़ा व्यवहारत: आज भी ज़िन्दा है । यह कटु सत्य है कि संविधान की घोषणा के बावजूद सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश के बदनसीब अछूतों को भेदभाव का दंश झेलना पड़ता है । इस देश का सांसद अपने हृदय की गहराई से इनकी पीड़ा को महसूस नहीं करता है । तभी तो 2001 के गणतंत्र अभिभाषण में तत्कालीन राष्ट्रपति आर॰के॰ नारायणन दुख के साथ इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि–"अस्पृश्यता तो क़ानून के द्वारा समाप्त कर दी गयी है परन्तु उसकी छाया जाति द्वारा घोषित दृष्टिकोण में अन्तर्निहित है ।"

दलितों के प्रति सवर्णों की यह मानसिकता कोई आकस्मिक बात नहीं है बल्कि संघ दर्शन के दो तत्व ब्राह्मणवादी एवं साम्प्रदायिकता का मूल तत्व है । साम्प्रदायिकता का ज्वलंत उदाहरण तो विश्व ने गुजरात में देख ही लिया । ब्राह्मणवाद का भी प्रयोग झज्जर से लेकर हल्द्वानी तक आये दिन देखने को मिलता ही रहता है ।

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि हिन्दू धर्म की रट लगाने वाले संघियों ने इस धर्म के सबसे विकृत रूप जाति प्रथा के विरुद्ध कभी कोई अभियान नहीं चलाया । अभियान चलाया तो मुस्लिम एवं इस्लाम के विरुद्ध हिन्दू धर्म की रक्षा का । यह सत्य है कि अपनी संस्कृति एवं धर्म की रक्षा का अधिकार प्रत्येक समुदाय को है परन्तु इनका रक्षा का अभियान रक्षा नहीं अपितु धर्म के नाम पर हिन्दू समाज को बेवक़ूफ़ बनाने की मुहिम है । जाति प्रथा तो हिन्दू धर्म की शक्ति है और हिन्दू समाज का शोषित वर्ग दलित इनके साम्प्रदायिक द्वीप प्रज्जवलित करने का ईंधन मात्र है । जिसका साक्षात्कार मोदी प्रायोजित गुजरात के दंगे में हुआ । मेरा अनुभव है कि वर्ग व्यवस्था की चक्की में पिस रहे दलित हिन्दू धर्म की रक्षा के नाम पर साम्प्रदायिक जुनून में शामिल होने वाली भीड़ से अधिक कुछ नहीं है । जाति प्रथा के पोषक संघ का सीधा मतलब सुविधा संपन्न दक्षिणपंथियों के हित में राष्ट्र के निर्माण से है । चाहे अन्य वर्ग एवं दलित को अपनी अस्मिता से ही क्यों न खेलना पड़े ।

अगर कुछ हिन्दू विशेषकर दलित को यह देख-सुनकर अच्छा लगता है कि संघ परिवार भारतवर्ष को हिन्दू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें उनका अपना राज होगा तो वे इस मुलम्मे को उतार फेंकें । दक्षिणपंथियों द्वारा जनित इस शब्द से भ्रमित न हों, क्योंकि इस शब्द का यथार्थता से बोध बिल्कुल नहीं है । संघ परिवार येन-केन प्रकारेण सत्ता में आने के लिए परिस्थिति पैदा कर रहा है जिससे मनुवादी व्यवस्था लागू करने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके । इन

दक्षिणपंथियों के शासनकाल की उन घटनाओं पर दृष्टिपात करें तो इनके मानसिक दिवालियेपन तथा दिल में कुंडलीमार बैठे नागराज से सरलता से साक्षात्कार हो जाता है । इनकी मानसिकता से परिचय कराने के लिए क्या ये घटनाएं काफ़ी नहीं हैं–

1. 15 अक्तूबर 2002 हरियाणा के झज्जर में 5 दलितों को मुर्दा गाय के बहाने पुलिस की उपस्थिति में बर्बरतापूर्वक पीटकर मौत के घाट उतार दिया ।

2. राजस्थान के चकवाड़ा गांव में राधेश्याम बैरवा एवं बाबू लाल पर सार्वजनिक तालाब में नहाने के जुर्म में पंचायत द्वारा 51 हज़ार का जुर्माना ठोक दिया गया ।

3. 5 सितम्बर 2002 को तमिलनाडु के कुडामपट्टी गांव में संकन को पेशाब पीने पर मजबूर किया गया क्योंकि उसने अपनी ज़मीन पर दक्षिणपंथियों द्वारा ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा करने के ख़िलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी ।

4. 22 मई 2002 को तमिलनाडु के थिन्ययम् गांव में गुरुगेसन और रामास्वामी को एक-दूसरे का पाख़ाना खिलाया गया ।

5. 2002 में ही इन संघ परिवार की कर्मस्थली दिल्ली में 55 वर्षीय जमुना देवी ने कहा कि–"मेरी टांग टुटी हुई थी फिर भी मुझे उस हवन स्थल से चले जाने को कहा गया क्योंकि हम दुसाध जाति (दलित) के हैं । (आश्चर्य की बात तो यह है कि इस हवन समारोह में एक तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री ने भी भाग लिया था ।) अगर उपरोक्त घटित घटना (संघ परिवार के शासनकाल की) से सीख ग्रहण नहीं की गयी और ग़लतियों को दुहराया जाता रहा तो निश्चित रूप से त्रासदी का प्रसूत होगा और दलित वर्ग आजीवन इनकी ब्राह्मणवादी चक्की में पिसता रहेगा ।

हिन्दुत्व के मायाजाल में उलझे दलित को झज्जर से आयी सुनामी तरंगों को परखना होगा । उन्हें त्रासद संदेश को सुनना और समझना होगा कि हिन्दुत्ववादियों के निशाने पर मुस्लिम-ईसाई ही नहीं बल्कि ख़ुद भारत वर्ष के मूल निवासी दलित भी हैं । दलित समुदाय को समझना होगा कि दलितों के विरुद्ध घट रही घटनाएं कोई अपवाद या भटकाव नहीं है बल्कि यह संघ परिवार के समाज एवं राज व्यवस्था का मूल तत्व है । दलित वर्ग को इनकी ग़ुलामी से मुक्त होना होगा चाहे एक पंथ को त्याग कर दूसरे पंथ को आत्मसात ही क्यों न करना पड़े या फिर इनके द्वारा प्रस्तुत की गयी बुराई के विरुद्ध विद्रोह करना होगा अन्यथा आत्मसम्मान का चीरहरण होता रहेगा, आंखों से ख़ून के दरिया का प्रवाह निरंतर जारी रहेगा ।

भीष्म प्रसाद 'हॉक'
प्रयाग मेडिकल स्टोर, झूंसी, इलाहाबाद

उपवास का प्रयोजन

भोजन, अशन, खाद्य जैसी चीज़ें हमारे भीतर पादार्थिक तत्व-द्रव्य को बढ़ाती हैं । एक सीमा तक इनको बढ़ाना ज़रूरी है अन्यथा शरीर दुर्बल होते-होते नष्ट हो जाएगा । परन्तु सीमा से अधिक द्रव्य को बढ़ाना, आत्म ज्ञान या ईश्वर-सामीप्य में बाधक है ।

अतएव ऋषियों ने विधान यह बनाया कि सबसे पहले मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करे । अर्जन का उपाय तय करे तथा उस लक्ष्य की प्राप्ति के विचार से भोजन और खाद्य को निश्चित करे । ब्राह्मण और ज्ञान की खोज करने वाले के लिए सात्विक व अनुत्तेजकारी भोजन का विधान है । जैसे फल, शाक-सब्ज़ी तथा पिसे हुए, मथे हुए भोजन । क्षत्रिय के लिए गरिष्ठ, भारी व शरीर को दृढ़ व ठोस बनाने वाले भोजन तथा व्यापारी व सेवक लोगों को अपने-अपने कार्य के उपयुक्त भोजन ।

साधना करने वाले कुछ चुनिन्दा लोगों के लिए कम से कम भोजन तथा अधिकांश में द्रव रूप भोजन का नियम बनाया तथा शीघ्र सुपाच्य, सुस्ती-आलस्य न लाने वाले तथा कम समय-साध्य व अत्यंत सुगमता से प्राप्त भोजनों का विधान किया । परन्तु सभी के लिए उपवास के, व्रत के, अनशन के नियम बनाये । त्योहारों पर उपवास तथा निर्जल उपवास व फल भोजन की व्यवस्था बनायी ।

देह शुद्धि, मन की पवित्रता तथा प्राण के दोषों से मुक्त होने के लिए कुछ काल का उपवास, बलाबल देखकर तथा देश-काल-परिस्थिति देखकर आवश्यक बताया गया है । हिन्दुओं में परम्परा से साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक उपवास तथा अनेकों त्योहारों पर उपवास का विधान किया गया जिनका वर्णन निर्णय सागर, व्रत-त्योहार तथा गर्गसंहिता आदि अनेक ग्रंथों में है ।

जैनों में तो उपवास से आत्मशुद्धि का विचार इतना गहन है कि वे तो उपवास के द्वारा सल्लेखना, संथारा द्वारा प्राण त्याग तक को पुण्य कार्य मानते हैं । हालांकि अन्य लोग इसे एक प्रकार की आत्महत्या का ही नाम देते हैं ।

इस्लाम के अनुयायियों का लंबा उपवास-विधान भी आत्म-शुद्धि व आत्म-निरीक्षण के लक्ष्य से ही बनाया गया है । ईसाइयों व यहूदियों में भी उपवास के निजी नियम हैं । तात्पर्य यह कि शरीर के पदार्थ अर्थात भौतिक द्रव्य को बढ़ाना आलस्य, तमस, जड़ता व अनेक दुर्गुणों का कारण प्राय: सभी धर्मों में माना गया है । अत: जितना ज़रूरी व अपरिहार्य हो उतना ही भोजन लेना उचित कहा जाता है ।

आधुनिक वैज्ञानिक भी इस पर भांति-भांति के प्रयोग कर रहे हैं ।

डॉ० ज्ञानचन्द्र

श्री अरविन्द चेतना समाज

6562/1, चमेलियान रोड, दिल्ली-110006

मानव-कल्याण के लिए

अल्लाह तआला ने मानव का मार्गदर्शन करने के लिए उसके बीच प्रत्येक काल में अपने दूत भेजे । ये मानवजाति तक अल्लाह का संदेश-आदेश पहुंचाते रहे । ईश्वरीय किताबें भी भेजीं । अंत में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर पवित्र क़ुरआन अवतरित किया गया । पहले के लोगों ने स्वार्थवश अपने पवित्र ग्रंथों में फेरबदल कर दिया था । पवित्र क़ुरआन ही सत्य मार्ग दिखाने का एकमात्र ग्रंथ है, जो किसी प्रकार के परिवर्तन और परिवर्धन से सर्वथा मुक्त प्रामाणिक ईश्वरीय ग्रंथ है । क़ुरआन ने मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों के लिए उसे ही उत्तरदायी ठहराया । उसने बताया कि उसका पालनहार प्रत्येक व्यक्ति के आचरण से परिचित है । वह सब कुछ देखता, जानता और सुनता है । मरने के बाद उसी के सामने सबको पेश होना है और अपने कर्मों का हिसाब देना है । क़र्म के अनुसार मनुष्य को स्वर्ग या नरक मिलेगा । अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह दुनिया में ही अपने आचरण को सुधार ले । इसी में उसकी भलाई है ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) अंतिम ईशदूत हैं । अब कोई और ईशदूत नहीं आएगा । इसीलिए अल्लाह ने क़ुरआन की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी स्वयं पर ले रखी है । इस बारे में पवित्र क़ुरआन में कहा गया है कि "हमने ही इसे अवतरित किया है और हम ही इसका हिफ़ाज़त करने वाले हैं ।"

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पवित्र क़ुरआन में किसी तरह का परिवर्तन असंभव है । यह ग्रंथ संसार का अस्तित्व रहने तक इन्सानों का मार्गदर्शन करता रहेगा ।

एक पाठक

दहेज एक अभिशाप

दहेज की प्रथा पुराने समय से ही चली आ रही है, पर आज के दौर में इसने बड़ा विकृत रूप धारण कर लिया है, जिसकी कल्पना भी किसी ने न की थी । दहेज प्रथा से हमारे पूरे समाज की अत्यधिक नुक़सान का सामना करना पड़ रहा है । जैसे–लड़कियों का आत्मदाह, क़र्ज़, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, अविवाहित रहने की मजबूरी को प्रोत्साहन बेमेल विवाह आदि हैं ।

वर्तमान काल में वर पक्ष अपनी मांगों की लंबी सूची कन्या पक्ष के सामने रखता है, जिसके पूरे न होने पर विवाह टूट जाता है । इस तरह ये लड़के का विवाह नहीं बल्कि नीलामी है जो ऊंची से ऊंची बोली लगाने वाले के पक्ष में होती है । यह लड़कियों के माता-पिता के लिए एक अभिशाप बन गया है, जो समाज को अन्दर से खोखला कर रहा है । कन्या के विवाह के अवसर पर लड़की के माता-पिता वर-पक्ष के सम्मानार्थ जो लेन-देन भेंट स्वरूप देते हैं, वह दहेज कहलाता है । दहेज का आज जो उसका विकृत रूप दिखाई देता है वह अधिक निन्दनीय है । इसे मिटाने के लिए समाज और शासन के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति को भी कटिबद्ध होना पड़ेगा इसके अलावा क़ानून का सख़्ती से पालन करना चाहिए ।

हिन्दू विवाह अधिनियम 1956 ने विशेष आधारों पर विवाह के संबंधों को ख़त्म करने की अनुमति दी जाए दहेज को अवैध घोषित किया जाए तथा इसके लिए सज़ा की व्यवस्था की जाए । दहेज की विकरालता को देखते हुए दहेज विरोधी क़ानून बनाया जाए, तब समाज से ये अभिशाप मिट सकता है ।

शमीम जहां

मुरादाबाद

पर निन्दा

शेख़ सादी जब छोटे थे तो एक बार अपने पिता के साथ एक क़ाफ़िले में कहीं जा रहे थे । रात के समय क़ाफ़िले ने एक जगह पड़ाव किया और सभी थके हारे यात्री सो गये । आधी रात के बाद शेख़ सादी के पिता तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने को उठे तो उन्होंने अपने बेटे सादी को जगा दिया । नमाज़ पूरी करने के बाद शेख़ सादी ने पिता से कहा, कितना अच्छा होता कि सभी यात्री नमाज़ अदा कर लेते, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं, सब सो रहे हैं ।

INFORMATION BROCHURE



- Almanar Social Service a registered society. Bridging the gap between giving and recieving ends.

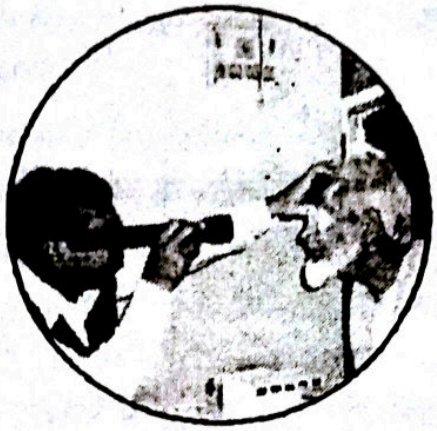

- Working in the field of education, health and employment generation.
- A unique charitable institution in Jharkhand.



- Projects in progress : Model primary school, Health

المنار سوشل سروس

Almanar Social Service

(An NGO registered societies Act XXI of 1860

President
Abul Arif
(M.Sc.)

Office : Jharna Road, Near Eidgaah Azadnagar, Jamshedpur-832110
Tel. : +91-657-6542806, +91-9279149654

Secretary
Haider Imam
(B.com. PG Dip)

Our Bank A/c No. 29601010007675
CANARA BANK
Kabir Memorial School, Zakir Nagar, Mango, Jamshedpur (Jharkhand)

शेख़ सादी के पिता यह सुनकर गंभीर हो गये और उदास स्वर में बोले, बेटे इससे तो बेहतर था कि तू भी सोता रहता । एक नफ़्ल नमाज़ पढ़कर तूने जितनी भलाई कमायी उससे अधिक बुराई तूने इनकी ग़ीबत (पीठ पीछे बुराई) करके कमा ली । ये सोने वाले तुझ से बेहतर हैं, इन्हें परनिन्दा का पाप तो नहीं भोगना पड़ेगा ।

हमें दृढ़ प्रयास करना चाहिए कि परनिन्दा का भाव ही हमारे हृदय में न पनप सके ।

घेवरचन्द गोदीका

जयपुर

अपव्यय को रोकें

सितम्बर 2010 ई॰ की 'कान्ति' पढ़ी । सभी रचनाएं श्रेष्ठता लिए हुए हैं । लेखकों को बधाई !

जलाने से चिराग़ जला करते हैं
खिलाने से फूल खिला करते हैं
नहीं है वक़्त क़िस्मत के भरोसे जीने का
क़िस्मत के महल बनाने से बना करते हैं

विवाह, जन्मोत्सव एवं अन्य समारोह में अपव्यय को रोकें । दहेज न लें, न दें ।

यशपाल जैन 'आदर्श'

जयपुर, राजस्थान

"मैं बनना चाहता हूं"

'कान्ति' का जून 2010 अंक पढ़ा । बहुत से विषय अच्छे लगे । सुरेन्द्र कुमार 'अंशुल' की कविता, "मैं बनना चाहता हूं" बहुत ही अच्छी लगी । कवि ने इस छोटी-सी कविता में, जीवन का उद्देश्य भर दिया है । अल्लाह से दुआ है कि वह उन्हें इसका अच्छा बदला दे और उनकी क़लम में और शक्ति दे ।

ग़ुलाम मुस्तफ़ा

गुलबर्गा, कर्नाटक

उपभोक्ता संरक्षण दिखावा मात्र

भारत सरकार को शायद पता भी नहीं होगा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनायी गयी उपभोक्ता फोरम या तो औद्योगिक घरानों के साथ फिक्सिंग में लिप्त है या फिर वह एक सफ़ेद हाथी बनकर रह गयी है जिस पर ख़र्चा तो जमकर हो रहा है पर उपयोग कुछ नहीं है क्योंकि उपभोक्ताओं के शोषण की सारी सीमाएं टूट चुकी हैं और राहत के कहीं कोई आसार नज़र नहीं आते ।

मोबाइल कंपनियों के साथ उपभोक्ता फोरम की गहरी सांठ-गांठ के कारण मोबाइल सेवाओं के नाम पर खुली लूट मची हुई है । Idea कंपनी के कस्टमर केयर में संपर्क करना अत्यंत कठिन है । अकारण बैलेंस कट जाने की शिकायत किससे करें, कहीं कोई सुनवाई नहीं । एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचने पर मोबाइल रोमिंग के नाम पर दोतरफ़ा लूट चल रही है । रोमिंग में एक एस॰एम॰एस॰ के 3.50 रुपये काट लिए जाते हैं । हर मोबाइल कंपनी के पास उपभोक्ता के करोड़ों रुपये की ऐसी धनराशि पड़ी हुई है, जिसके लिए उपभोक्ता को कोई सेवा प्रदान नहीं की गयी ।

प्री-पेड उपभोक्ताओं को जमा राशि से कम का टॉक टाइम देना सरासर अन्याय है, जबकि उन्हें एडवांस पेमेंट के बोनस स्वरूप कुछ अधिक टॉक टाइम दिया जा सकता है । प्री-पेड ग्राहकों को पोस्ट पेड की तरह Used Balance की रिपोर्ट नहीं देना भी अन्याय है ।

विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा जो हैंडसेट बाज़ार में लाये जाते हैं उन सभी में बैटरी चाजिंग की जो पिन होती है उसे सभी सेट्स के लिए एकरूप बनाया जा सकता है पर सभी कंपनियां इन्हें अलग-अलग ढंग से बनाकर उपभोक्ताओं का खुला शोषण करती हैं जिसे उपभोक्ता फ़ोरम चुपचाप देखती रहती है ।

स्वामी तृप्तानंद

परनामी मेडिकल, खातेगांव, देवास (म॰प्र॰)

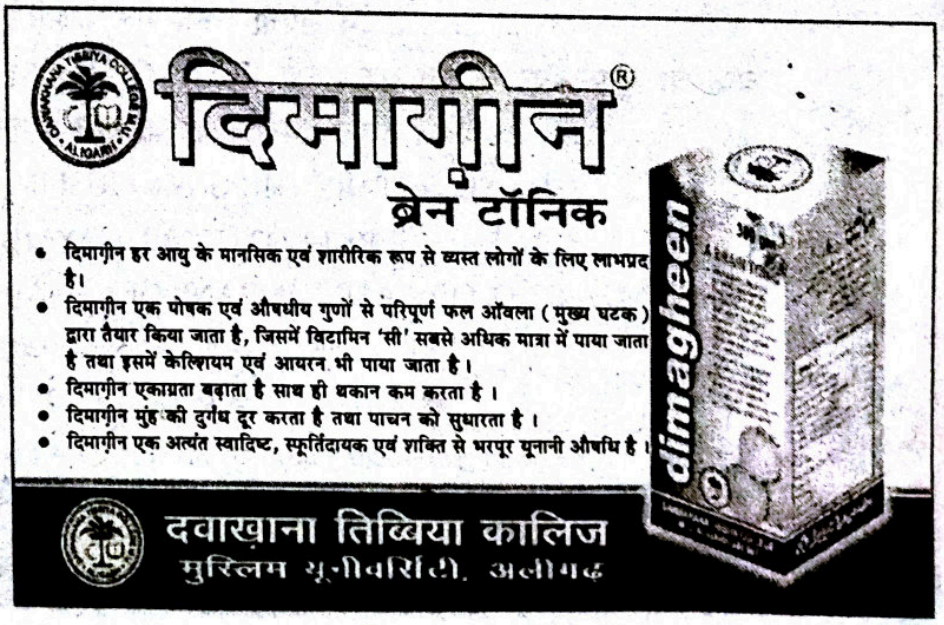

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)

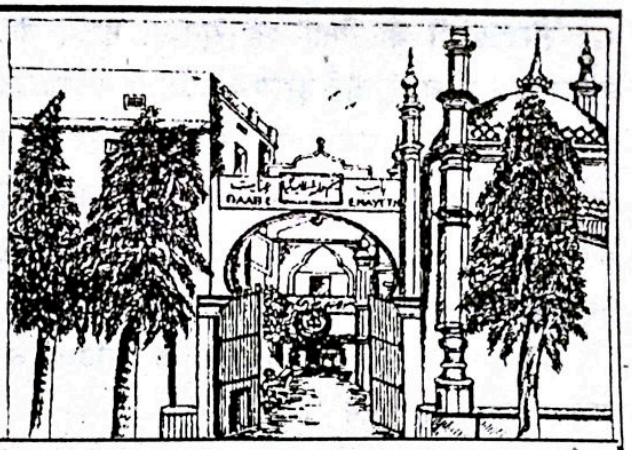

एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 93 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2010-2011 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 8000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 14 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 125 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप ख़ुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,

UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

.....में अपनी रक़म भेज सकते हैं.....

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

.....चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता.....

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKIN GA/C NO.:300402010010581

☎ 0631-2734428 ● Mobile : 9955655960

E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

अध्यक्ष
डॉ० फ़रासत हुसैन

नाज़िम
डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

हज़रत बरीरा (रज़ि०)

❖ तालिब हाशमी

हज़रत बरीरा (रज़ि०) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि०) की दासी थीं जिन्हें हज़रत आइशा (रज़ि०) ने आज़ाद कर दिया था । कहा जाता है कि उम्मुल मोमिनीन (रज़ि०) की सेवा में आने से पहले वे जिस व्यक्ति की दासी थीं उससे उन्होंने यह तय किया कि वह नौ (या पांच) औक़िया सोना देकर आज़ाद हो जाएंगी । यह रक़म उन्हें वार्षिक क़िस्तों में अदा करनी थी । लेकिन हज़रत बरीरा (रज़ि०) इतनी लंबी अवधि तक दासी बनकर रहना नहीं चाहती थीं ।

इसीलिए एक दिन वह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि०) की सेवा में हाज़िर हुईं और कहा कि "मेरी मदद कीजिए और मुझे अपनी सेविका बना लीजिए ।" और फिर अपनी सारी दास्तान सुना डाली । हज़रत आइशा (रज़ि०) ने उसे पूरी रक़म देने का वादा कर लिया । लेकिन जब हज़रत बरीरा (रज़ि०) के मालिक से संपर्क साधा गया तो वह उनको बेचने पर तो राज़ी हो गया, लेकिन यह शर्त लगायी कि विरासत का हक़ उसी के पास रहेगा ।

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के पास जब यह बात पहुंची तो आप (सल्ल०) ने हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि०) को संबोधित करते हुए कहा : "विरासत का हक़ उसी व्यक्ति को पहुंचता है जो किसी गुलाम (या दासी) को ख़रीद कर आज़ाद कर दे ।"

एक रिवायत में है कि इस अवसर पर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने लोगों को जमा किया और अल्लाह तआला की हम्द व सना के बाद कहा, "कुछ लोग ऐसी शर्तें लगाना चाहते हैं जो अल्लाह की किताब में नहीं है । वह बातिल है । अल्लाह का फ़ैसला सच्चा है और उसकी शर्तें पक्की हैं और सच्चाई यही है कि गुलाम की विरासत गुलाम आज़ाद करने वाले की ही होती है ।"

अतएव हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि०) ने हज़रत बरीरा (रज़ि०) को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया । लेकिन उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि०) की सेवा में ही रहना पसन्द किया । हज़रत आइशा (रज़ि०) की संगत के साथ-साथ उन्हें आप (सल्ल०) की संगत का ख़ूब मौक़ा मिला । व्याख्याकारों का कहना है कि तमाम मुसलमान जिनमें बड़े-बड़े सहाबी भी शामिल हैं, हज़रत बरीरा (रज़ि०) का बहुत आदर-सम्मान किया करते थे ।

मसनद अबू दाऊद में है कि जब हज़रत बरीरा (रज़ि०) दासी थीं तभी उनकी शादी हज़रत मुग़ीस (रज़ि०) से हो गयी थी । हज़रत मुग़ीस (रज़ि०) एक हब्शी गुलाम थे और आप (सल्ल०) के सहाबियों में से थे । हज़रत बरीरा (रज़ि०) की उनसे किसी कारणवश नहीं बनती थी । जब वह आज़ाद हो गयीं तो हज़रत मुग़ीस (रज़ि०) से अलग होना चाहा । आप (सल्ल०) को इसका पता चला तो आपने इस अलगाव को रोकना चाहा । हज़रत बरीरा (रज़ि०) ने आप (सल्ल०) से पूछा :

"ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! क्या यह आपका आदेश है ?"

आप (सल्ल०) ने कहा : "नहीं, बल्कि मैं सिफ़ारिश करता हूं ।"

हज़रत बरीरा (रज़ि०) ने हज़रत मुग़ीस (रज़ि०) के साथ रहने से मना कर दिया । इस पर आप (सल्ल०) ने उन दोनों में अलगाव करा दिया और आदेश दिया कि "बरीरा (रज़ि०) एक तलाक़शुदा महिला की भांति इद्दत पूरी करे ।"

हज़रत मुग़ीस (रज़ि०) को बरीरा (रज़ि०) से बड़ी मुहब्बत थी । इस अलगाव से उनका दिल टूट गया और वे मदीना मुनव्वरा की गलियों में उनके पीछे रोते-फिरते थे । एक बार आप (सल्ल०) ने उनको इस हाल में देखा तो हज़रत अब्बास (रज़ि०) से कहा :

"चचा जान ! मुग़ीस की मुहब्बत और बरीरा की नफ़रत आपको अजीब नहीं मालूम होती ।"

(2)

हज़रत बरीरा (रज़ि॰) एक ग़रीब महिला थीं । उन पर सदक़ा का माल हलाल था । अतएव कुछ लोग उनको सदक़ा भेजा करते थे । सही मुस्लिम में है कि उनके पास जो कुछ सदक़ा में आता था वे उसे आप (सल्ल॰) की पाक पत्नियों को तोहफ़े में दे दिया करती थीं ।

कहा जाता है कि एक बार अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) घर में दाख़िल हुए तो देखा कि चूल्हे पर हांडी रखी है और उसमें गोश्त पक रहा है । लेकिन खाने के समय आप (सल्ल॰) के सामने गोश्त के बदले कोई और चीज़ रखी गयी । आप (सल्ल॰) ने पूछा तो हज़रत आइशा (रज़ि॰) ने बताया ।

"गोश्त बरीरा (रज़ि॰) को सदक़ा में मिला है और उन्होंने हमें तोहफ़े में दिया है । हमने यह उचित नहीं समझा कि सदक़ा का गोश्त आपकी सेवा में पेश करें ।"

आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया : यह बरीरा (रज़ि॰) के लिए सदक़ा है, लेकिन हमारे लिए तो तोहफ़ा है ।"

(3)

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि॰) पर जब तोहमत लगाया गया था तो हज़रत बरीरा (रज़ि॰) ने जिन शब्दों में उम्मुल मोमिनीन की पाकदामनी की तसदीक़ की वह उनके जीवन का एक सुनहरा अध्याय है ।

कहा जाता है कि पहले उनसे इशारे किनाये में पूछा गया तो पहले तो वह समझीं कि घर-गृहस्ती के बारे में उनसे पूछा जा रहा है । उन्होंने कहा–

"और तो कोई बुराई नहीं है, अलबत्ता बचपना है, सो जाती हैं और बकरी आटा खा जाती है ।"

इस पर स्पष्ट शब्दों में उनसे उस बोहतान के बारे में पूछा गया तो वे अनायास ही बोल उठीं : "सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं । अल्लाह की क़सम ! जिस तरह सुनार खरे सोने को जानता है, उसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि॰) को मैं जानती हूं । वह बिल्कुल बेऐब हैं ।"

कुछ रिवायतों में है कि इस सिलसिले में उन पर सख़्ती भी की गयी लेकिन वह अपने बयान पर क़ायम रहीं और अपनी बात से तनिक भी विचलित न हुईं । यहां तक कि स्वयं अल्लाह तआला ने हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि॰) की पाकदामनी की पुष्टि कर दी ।

हज़रत बरीरा (रज़ि॰) का इन्तिक़ाल कब हुआ, इस सिलसिले में इतिहास मौन है अलबत्ता कुछ रिवायतों से पता चलता है कि आप (सल्ल॰) की वफ़ात के बाद भी आप बहुत दिनों तक ज़िन्दा रहीं ।

अल्लामा सैयद सुलैमान नदवी (रह॰) ने "सीरते आइशा (रज़ि॰)" में सही बुख़ारी के हवाले से लिखा है कि हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि॰) फ़रमाती थीं कि बरीरा (रज़ि॰) के ज़रिया से इस्लाम के तीन आदेश मालूम हुए ।

1. गुलाम (या लौंडी) के विरासत का हक़ केवल आज़ाद करने वालों को मिलेगा ।

2. गुलामी की हालत में यदि एक गुलाम और एक लौंडी की शादी हुई हो, और बीवी आज़ाद हो जाए और पति गुलामी की हालत में रहे तो बीवी को यह हक़ हासिल है कि वह उस पति के साथ रहे या अलग हो जाए ।

3. यदि किसी मुस्तहक़ को कोई माल मिले और वह अपनी ओर से किसी ऐसे आदमी को तोहफ़ा में दे दे जिस पर सदक़ा लेना जायज़ न हो, तो उस शख़्स के लिए

मारूफ़
शू पैलेस
जी॰ई॰ रोड, बस स्टैंड, बी॰एम॰वाई॰
चरौदा, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
फ़ोन : 0788-6534786

मक़सूद भाई मोबाइल : 9406090786
एस॰के॰ इंटरप्राइजेज
होल सेल शू मर्चेन्ट
अलंकार कम्पलेक्स के निकट
कैम्प-2, भिलाई, (छत्तीसगढ़)
फ़ोन : 0788 6535786

वह माल जायज़ होगा । यानी माल की हैसियत बदल जाएगी ।

हज़रत बरीरा (रज़ि॰) से कई हदीसें भी उल्लिखित हैं । उनके शिष्यों का हल्क़ा बहुत व्यापक था । उनसे हदीस सुनने वालों में उमवी ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक बिन मरवान भी शामिल हैं । कहा जाता है कि ख़लीफ़ा बनने से पहले एक बार वे हज़रत बरीरा (रज़ि॰) की सेवा में हाज़िर हुए तो वे उनसे बड़े ज़ोरदार अंदाज़ में बोलीं !

''अब्दुल मलिक, ग़ौर से सुनो ! मैं तुम में कुछ ऐसे आसार देख रही हूं जिससे पता चलता है कि अल्लाह तआला किसी दिन तुम्हें सत्ता प्रदान करेगा । यदि तुम शासक बन गये तो हत्या, लूट-मार और रक्तपात से हमेशा बचना । मैं यह इसलिए कह रही हूं कि मैंने अपने कानों से अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते सुना है कि जिस व्यक्ति ने किसी मुसलमान को नाहक़ क़त्ल किया होगा तो उसे धक्के देकर जन्नत के द्वार से पीछे हटा दिया जाएगा ।''

कुछ रिवायतों से हज़रत बरीरा (रज़ि॰) के कुछ क़ौल (कथन) नक़ल किये गये हैं जो उनकी सूझ-बूझ और मोमिनाना विशेषतो को दर्शाती है :

1. किसी नेकी की बात बताने में बुख़ालत करना अमानत में ख़यानत के समान है ।

2. हमेशा हलाल रिज़्क़ से अपना पेट भरो कि उसमें बेशुमार बरकतें हैं ।

3. व्यर्थ की बातें करने से दिल काला हो जाता है । परहेज़गार वही है, जो अपनी जुबान को क़ाबू में रखे । ज़रूरत से ज़्यादा बातें करने वाले को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है ।

4. किसी के साथ नेकी करो तो उसका बदला न चाहो ।

5. बहादुर वह है जो कमज़ोर और लागर पर हमला नहीं करता और न कमज़ोर से प्रतिशोध लेता है ।

6. ग़नी (संतुष्ट) वह है जो दूसरों की ज़रूरतें पूरी करता है ।

7. किसी के सामने हाथ फैलाने से बचो । ऐसा करना कभी-कभी ज़िल्लत का कारण बन जाता है ।

8. दुनिया के लाभ कुछ दिनों के हैं । उनको पाने के लिए ज़्यादा दौड़-धूप न करो ।

9. झूठ बोलना बहुत बड़ा फ़िल्ला है । हमेशा सच्चाई से काम लो ।

10. अपना काम स्वयं करो और दूसरों के मुहताज मत बनो ।

11. बात हमेशा सीधी और साफ़ करो और किसी को ग़लतफ़हमी में फंसाकर अपना मतलब न निकालो ।

'कान्ति' मासिक का एक और दस्तावेज़ी विशेषांक

अयोध्या फ़ैसला
प्रभाव और परिणाम
दिसम्बर 2010 अंक में पढ़िए

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुप्रतीक्षित 'अयोध्या फ़ैसला' आ चुका है । इसके बारे में यह भी कहा जाता है की न्याय की अपेक्षाओं और उसके निर्धारित मानदंडों की अनदेखी हुई है । इस फ़ैसले के महत्वपूर्ण बिन्दु कौन-कौन से हैं ? बाबरी मस्जिद/राम जन्मभूमि की मिल्कियत किस रूप में तय पायी एवं सामाजिक, राजनैतिक और अन्य पहलुओं से भारतीय समाज व देश पर इस फ़ैसले के क्या प्रभाव पड़ेंगे आदि सवालों का जवाब जानने की दिशा में 'कान्ति' की एक और गंभीर कोशिश ।

इस विशेषांक के लिए लेख, विचार और अन्य रचनाएं 10 नवम्बर 2010 तक भेजने का कष्ट करें ।

डॉ॰ मुहम्मद अहमद
(संपादक)
डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025

ڈائریاں اور کیلنڈر-2011

شب و روز (ڈائری)

• ہر صفحے پر قرآنی آیات واحادیث رسولؐ، انبیاء کرام، صحابہ عظام اور بزرگان سلف کے سبق آموز اقوال، معتبر شعرا کے تعمیری، فکرانگیز اور رگِ احساس کو پھڑکا دینے والے اشعار • شروع وآخر کے ۶۴ صفحات پر اہم ودل چسپ معلومات، مسنون دعائیں، خطباتِ جمعہ ونکاح اوران کا ترجمہ، قربانی، عقیقے، نمازِ جنازہ اور استخارے کی ماثورات • فہرست تعطیلات • مولانا عامر عثمانیؒ کی ایک پرسوز نظم ''جشنِ آزادی'' • اردو اکادمیوں اور مختلف دینی جماعتوں کے پتے اوران کے فون نمبر • مختلف شہروں کے لیے فون کے STD کوڈ • پوسٹ آفس سے متعلق ضروری قواعد وضوابط • انسانی حقوق کی سرکاری وغیر سرکاری تنظیموں، مرکزی حکومت کے امدادی اداروں، حق اطلاعات اور آن لائن اسلامی وتعلیمی معلومات کی اہم ویب سائٹ • مکتبہ کی تعلیمی وتربیتی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کی فہرست • اقلیتی ترقیاتی ومالیاتی کارپوریشن کے پتے • خاص سفارت خانوں کے پتے • لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے مسلم ممبروں کی فہرست کے علاوہ بہت ساری دوسری معلومات سے مزین ایک دل چسپ ومفید ڈائری۔
صفحات: ۴۳۲ نفیس کاغذ دیدہ زیب ٹائٹل۔

اسلامی ڈائری (پاکٹ سائز)

• ہر صفحہ قرآنی آیات، احادیثِ رسولؐ، بزرگوں کے اقوال اور بزرگ وتعمیر پسند شعرا کے تعمیری وفکرانگیز اشعار سے مزین
• ۲۵ صفحات پر مشتمل اہم اور ضروری معلومات۔ • کل صفحات: ۲۰۸ • نفیس اور عمدہ کاغذ۔

کیلنڈر

• چار رنگوں پر مشتمل سفید میٹ پیپر پر نفیس طباعت • ہر صفحے پر منتخب قرآنی آیات کے اردو، ہندی اور انگریزی تراجم کے ساتھ ایک دیدہ زیب کیلنڈر • ۳ ورقی دوطرفہ طباعت، قرآنی آیات کے دل کش طغرے اور ہر مہینے کی تاریخیں نمایاں حروف میں۔

آندھراپردیش کے خریداران
مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز کے
سب ڈپو چھتہ بازار
حیدرآباد سے رجوع کریں

MMI PUBLISHERS
D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar,
New Delhi-110025 • Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D)
• Fax: 26947858 • E-mail:mmipublishers@gmail.com
• Website: www.mmipublishers.net

एकेश्वरवाद और इस्लामी शिक्षाएं

❖ श्याम नारायण चौहान
(चंदौली, उ०प्र०)

जब अल्लाह की रहमत होती है तो उसके बन्दे को मार्गदर्शन प्राप्त होता है जिसके लिए वह अपने प्रभु से प्रार्थना करता है जैसा कि कुरआन मजीद की पहली सूरा अल-फ़ातिहा में है–"प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो सम्पूर्ण सृष्टि का रब (पालनहार) है । अत्यंत कृपाशील और दयावान है । बदले के दिन का मालिक है । हम तेरी ही बन्दगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं । हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन्हें तूने पुरस्कृत किया, जो तेरे प्रकोप के शिकार नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं ।"

(कुरआन, 1:1-7)

बन्दे के इस प्रार्थना के जवाब में अल्लाह अपने बन्दे को कुरआन पाक प्रदान करता है जिसके ज़रिये से वह अल्लाह के क़ानून तथा उसके रसूल (संदेष्टा) सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत (तरीक़ा) को जान लेता है और उस राह पर चलने की कोशिश करता है तथा अपने प्रभु की अज़मत और पवित्रता बयान करते हुए कहता है ।

"अल्लाह वह शाश्वत जीवंत सत्ता है जो समूची सृष्टि को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई ख़ुदा नहीं है । वह न सोता है और न उसे ऊंघ लगती है । ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है । कौन है जो उसके वहां उसकी अनुमति के बिना सिफ़ारिश कर सके ? जो कुछ बन्दों के सामने है उसे भी वह जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उसे भी वह जानता है और उसके ज्ञान में से कोई उनकी पकड़ में नहीं आ सकती सिवाय इसके कि किसी चीज़ का ज्ञान वह स्वयं ही उनको देना चाहे । उसकी हुकूमत (शासन) आसमानों और ज़मीन पर छायी हुई है और उनकी सुरक्षा (देखभाल) उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है । और वही एक महान, सर्वोपरि सत्ता है ।

(कुरआन, 2:255)

अर्थात वही एक हस्ती है जो पूरी सृष्टि की व्यवस्था एवं हर चीज़ की ख़बर रखने वाला है । वह अल्लाह अगोचर है, जिसका बयान कुरआन शरीफ़ में है :

"निगाहें उसको नहीं पा सकतीं और वह निगाहों को पा लेता है, वह बड़ा सूक्ष्मदर्शी और हर चीज़ की ख़बर रखने वाला है ।"

(कुरआन, 6:103)

फिर फ़रमाया : "यह तो एक याददिहानी है हर उस व्यक्ति के लिए जो डरे, उतारा गया है उस हस्ती की ओर से जिसने पैदा किया है ज़मीन को और बुलन्द आसमानों को । वह रहमान (सृष्टि के) राज सिंहासन पर विराजमान है । मालिक है उन सब चीज़ों का जो आसमानों और ज़मीन में हैं और जो ज़मीन और आसमानों के बीच में हैं और जो मिट्टी के नीचे हैं । तुम चाहे अपनी बात पुकार कर कहो वह तो चुपके से कही हुई बात बल्कि उससे बढ़कर छिपी बात भी जानता है । वह अल्लाह है जिसके सिवा कोई ख़ुदा नहीं उसके लिए सर्वोत्तम नाम है ।" (कुरआन, 20:3-8)

अर्थात, वह अल्लाह अपने राज़सिंहासन पर विराजमान होकर दुनिया की हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए है और सबकी करतूतों से बाख़बर है जैसा कि कुरआन पाक में इरशाद है ।

"आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह का है और अल्लाह हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए है ।'"

(कुरआन, 4:126)

अर्थात अल्लाह वह सत्ता है जिसके व्यक्तित्व (ज़ात), गुणों (सिफ़ात), धारण (अख़्तियारात) तथा अधिकार (हुक़ूक़) में किसी की भी कोई हिस्सेदारी नहीं है और वह अपने आप में अकेला है, उसकी बराबरी का कोई नहीं ।

"ऐ नबी कहो अल्लाह एक है । अल्लाह बेनियाज़ (निरपेक्ष) है और सब उसके मुहताज हैं । न उसकी कोई संतान है और न वह किसी की संतान । और कोई उसका समकक्ष नहीं है ।" (कुरआन, 112:1-4)

दीन हमेशा से एक ही रहा है यानी (एक ईश्वर की उपासना)। शरीअतें बदलती रहीं जैसा कि किताबे पाक में अल्लाह फ़रमाता है ।

"मैंने जिन्न और इन्सानों को अपनी इबादत के सिवा किसी और काम के लिए पैदा नहीं किया है ।"

(कुरआन, 51:56)

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के ज़माने में शुरू में अकेले आप ही मुसलमान थे और धीरे-धीरे बहुत सारे लोग इस्लाम में दाख़िल हो गये और अल्लाह का शुक्र है कि आज बेशुमार लोग मुसलमान हैं । उस समय बुतपरस्ती चरम सीमा पर थी । यहां तक कि खाना काबा में 360 बुत थे जिनका नाम लात, उज़्ज़ा, हुवल, मनात आदि थे जो बाद में तोड़ डाले गये और एक ईश्वर की उपासना क़ायम हो गयी जिसके संबंध में अल्लाह तआला अपनी किताब क़ुरआन मजीद में फ़रमाता है ।

"सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ लो और विभेद में मत पड़ो" (क़ुरआन, 3:103) किन्तु कालांतर में लोगों में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया, यहां तक कि लोग टुकड़ों-टुकड़ों में बंट गये ।

"जिन लोगों ने अपने धर्म को टुकड़े-टुकड़े कर दिया और गिरोह के गिरोह बन गये निश्चय ही उनसे तुम्हारा कुछ वास्ता नहीं उनका मामला तो अल्लाह के हवाले है वही उनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है ।"

(क़ुरआन, 6:159)

फिर फ़रमाया–"आरंभ में सारे इन्सान एक ही उम्मत (समुदाय) थे (बाद में) वे अलग-अलग हो रहे ।"

(क़ुरआन, 10:19)

गुमराही के मुख्य तीन कारण हैं–

1. नफ़्स की बन्दगी
2. बाप-दादा की अंधी पैरवी, रीति, रिवाज
3. ग़ैर-अल्लाह की बन्दगी

गुमराही और फ़ित्ना (बिगाड़) को दूर करने के लिए अल्लाह तआला ने अनेक क़ौमों (समुदाय) में अपना सन्देष्टा भेजा तो उस क़ौम के खाते-पीते लोगों ने यही बात कही ।

"जब उनसे कहा जाता कि अल्लाह ने जो आदेश उतारे हैं उनकी पैरवी करो तो वे जवाब देते हैं कि हम तो उसी तरीक़े की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप-दादा को पाया है । अच्छा उनके बाप-दादा ने बुद्धि से कुछ भी काम न लिया हो और सीधा रास्ता न पाये हों तो क्या फिर भी ये उन्हीं की पैरवी किये चले जाएंगे ।" (क़ुरआन, 2:170)

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम के लोगों को जब दावत दी तो उन्होंने भी यही कहा–

"उन्होंने उत्तर में कहा : क्या तू इसलिए आया है कि हमें उस तरीक़े से फेर दे जिस पर हमने अपने बाप-दादा को पाया है और धरती में बड़ाई तुम दोनों की क़ायम हो जाए तुम्हारी बात तो हम मानने वाले नहीं हैं ।"

(क़ुरआन, 10:78)

इसी तरह किताब वालों (यहूदी और ईसाई) में इतना बिगाड़ पैदा हो गया कि लोगों को गुमराह करने की तरह-तरह की साज़िशें करते थे और उनके विद्वान और पेशवा भी बने हुए थे जैसा कि क़ुरआन मजीद में बयान हुआ है ।

"ऐ ईमान लाने वालो, इन किताब वालों के अधिकतर धर्मज्ञाता और संसार त्यागी संतों का हाल यह है कि वे लोगों के माल ग़लत तरीक़ों से खाते हैं और उन्हें अल्लाह के राह से रोकते हैं ।" (क़ुरआन, 9:34)

ठीक उसी प्रकार से आज के मुसलमान भाइयों में भी बिगाड़ पैदा हो गया है जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग अल्लाह की इबादत को छोड़कर ग़ैर-अल्लाह की इबादत, क़ब्रों पर चादरपोशी, नज़्र व नियाज़, मन्नतें मांगना, बामुराद होने की भ्रांतियों में पड़कर रह गये हैं, जिनके संबंध में नसीहतपूर्ण शैली एवं धमकी भरे अंदाज़ में अल्लाह फ़रमाता है ।

"और वे दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं वे किसी भी चीज़ को पैदा करने वाली नहीं है बल्कि स्वयं पैदा की हुई हैं निर्जीव हैं न कि जीवित । और उनको कुछ मालूम नहीं है कि उन्हें क़ब्र से (दोबारा जीवित करके) उठाया जाएगा ।" (क़ुरआन, 16:20-21)

फिर फ़रमाया–"उसी को पुकारना सत्य है रहीं वे दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं वे उनकी दुआओं का कोई उत्तर नहीं दे सकतीं । उन्हें तो पुकारना ऐसा है जैसे कोई आदमी पानी की ओर हाथ फैलाकर उससे विनती करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा हालांकि पानी उस तक पहुंचने वाला नहीं इसी तरह अधर्मियों की प्रार्थनाएं भी कुछ नहीं हैं, मगर एक तीर बिना लक्ष्य का ।" (क़ुरआन, 13:14)

अल्लाह की आयतों का इन्कार करने वालों और ग़फ़लत में डूबे हुए लोगों को, अल्लाह धमकी भरी डरावनी बातों से सचेत करता है और कहता है ।

(और अल्लाह फ़रमाएगा) "लो अब तुम वैसे ही बिल्कुल अकेले हमारे सामने हाज़िर हो गये जैसा हमने तुम्हें

पहली बार अकेला पैदा किया था, जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में दिया था वह सब तुम पीछे छोड़ आये हो और अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफ़ारिशियों को भी नहीं देखते जिनके बारे में तुम समझते थे कि तुम्हारे काम बनाने में उनका भी कुछ हिस्सा है, तुम्हारे आपस के सब संपर्क टूट गये और वे सब तुमसे गुम हो गये जिनका तुम दावा रखते थे ।''

(कुरआन, 6:94)

अल्लाह पाक अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम अपने नियुक्त किये हुए संदेशवाहक से लेता रहा है ठीक वही काम (पैग़म्बरी का) अंजाम देने के लिए उसने अरब की धरती से एक संदेष्टता चुना जिनके माध्यम से अपना संदेश पहुंचवाया जिनका नाम मुहम्मद मुस्तफ़ा (सल्ल०) है । चूंकि अल्लाह पूरी क़ायनात का रब (पालनहार) है जिसे कुरआन मजीद में रब्बुल आलमीन जैसे पाक नाम से उच्चारित किया गया है और रसूलुल्लाह (सल्ल०) को रहमतुललिल आलमीन जैसे पाक नाम से नवाज़ा गया है । यानी हुज़ूर साहब सारी दुनिया के लोगों के लिए रहमत बनकर आये थे जिन पर कुरआन पाक (किताब) अवतरित करके अल्लाह ने पूरी दुनिया में अपना संदेश भेजवाया ताकि लोग उसे अपनाकर दुनिया और आख़िरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकें, जैसा कि कुरआन शरीफ़ में इरशाद है–

''अत: ऐ नबी इस वाणी को हमने आसान करके तुम्हारी भाषा में इसलिए उतारा है कि तुम परहेज़गारों को शुभ सूचना दे दो और हठधर्म लोगों को डरा दो ।''

(कुरआन, 19:97)

परवरदिगार अपना संदेश पहुंचाने के लिए सभी उम्मतों (समुदायों) में संदेशवाहक भेजता रहा है । कोई ऐसी उम्मत नहीं जिसमें रसूल न भेजा गया हो जैसा कि कुरआन मजीद की आयतों से स्पष्ट हो जाता है ।

''हमने अपना संदेश पहुंचाने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है उसने अपनी क़ौम की ही भाषा में संदेश दिया है ताकि वह उन्हें अच्छी तरह खोलकर समझाये । फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है वह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है ।''

(कुरआन, 14:4)

फिर फ़रमाया–''हर उम्मत (समुदाय) के लिए एक रसूल है फिर जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आ जाता है तो उसका फ़ैसला पूरे न्याय के साथ चुका दिया जाता है और उस पर कण भर भी ज़ुल्म नहीं किया जाता ।''

हुज़ूर (सल्ल०) ने अल्लाह के हुक्म के अनुसार अपनी पूरी ज़िन्दगी गुज़ारी और उन रास्तों पर चलकर लोगों को दिखा दिया । रसूल की जीवन पद्धति हमारे लिए एक आदर्श नमूना है । अत: हमें उनके पद चिह्नों का अनुसरण करना चाहिए ।

(कुरआन, 10:47)

जब सारी दुनिया का मालिक अल्लाह है जिसके संरक्षण में पूरी सृष्टि की व्यवस्था और संचालन है । अल्लाह ही हाकिम है, उसी का आदेश चलता है । हुज़ूर (सल्ल०) अल्लाह के रसूल (संदेशवाहक) हैं जिन पर कुरआन अवतरित हुआ जो इन्सानों के लिए सर्वथा मार्गदर्शक है । यह कुरआन पाक किसी विशेष व्यक्ति, विशेष क़ौम और विशेष जाति के लिए नहीं अपितु सारी दुनिया के लोगों के लिए संमार्ग का ज़रिया है । जिसके आदेशों को जानकर तथा हुज़ूर (सल्ल०) की सुन्नत (तरीक़ा) से अमल करके मनुष्य शाश्वत सनातन धाम/जन्नत को प्राप्त कर सकता है ।

अर्थात, अल्लाह का आदेश तथा उसके रसूल के तरीक़ों से अमल करना ही इस्लाम है । दूसरे शब्दों में अपनी ख़्वाहिश को अल्लाह की ख़्वाहिश में कर देना ही इस्लाम है और अपनी ख़्वाहिश को अल्लाह की ख़्वाहिश में मिला देने वाला ही मुस्लिम (ईशभक्त) है । इसी बिना पर बन्दा अल्लाह और रसूल से अहद और इक़रार करता है ।

कलमा तौहीद–

'ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह'

यानीं अल्लाह के सिवा कोई बन्दगी के लायक़ नहीं हुज़ूर (सल्ल०) अल्लाह के रसूल हैं ।

यह इक़रार करने के बाद आदमी अल्लाह और रसूल के अधीन हो गया । अब वह आज़ाद नहीं कि जैसा चाहे वैसा करे । अब हर वक़्त हर पल में उसे यह देखना है कि फलां काम में अल्लाह का क्या हुक्म है और मुहम्मद मुस्तफ़ा (सल्ल०) का क्या तरीक़ा है जिससे उस काम को अंजाम दिया जा सके । जैसा कि कुरआन शरीफ़ में आदेश दिया गया है ।

''ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम अल्लाह का आज्ञापालन करो और रसूल का आज्ञापालन करो और अपने कर्मों को बरबाद न कर लो ।''

(कुरआन, 47:33)

यह कुरआन पाक पूरी दुनिया के लोगों के लिए रहमत

और मार्गदर्शक है जो भी इसे अपनाएगा वह दुनिया और आख़िरत दोनों में कामयाबी हासिल करेगा ।

"जो आदमी भी अच्छा कार्य करेगा चाहे मर्द हो या औरत बशर्ते कि हो वह मोमिन (ईमान वाला) हम उसे दुनिया में पवित्र जीवन बसर कराएंगे और आख़िरत में ऐसे लोगों को उनके बदले उनके उत्तम कर्मों के अनुसार प्रदान करेंगे ।" (कुरआन, 16:97)

वह कुरआन पाक किसी विशेष क़ौम, विशेष जाति के लोगों के लिए नहीं है अपितु सारे मानव जाति के लिए रहमत का सरचश्मा है ।

(विश्वास करो यहां ठेकेदारी किसी की भी नहीं है) "मुसलमान हों या यहूदी, साबी हों या ईसाई जो भी अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान लाएगा और भले कर्म करेगा निस्सन्देह उसके लिए न किसी डर की जगह है न दुख की ।" (कुरआन, 5:69) किन्तु जो लोग अल्लाह की आयतों का इन्कार करते हैं और अपने विचार से मनमाना आचरण करते हैं, वे लोग हर तरह से हर क्षेत्र में असफल हैं ।

"ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब के आयतों को मानने से इन्कार किया और उसके हुज़ूर पेशी का यक़ीन न किया इसलिए उनके सारे कर्म व्यर्थ गये क़ियामत के दिन हम उन्हें कोई वज़न न देंगे ।"

(कुरआन, 18:105)

फिर फ़रमाया : "इस आज्ञापालन (इस्लाम) के सिवा जो व्यक्ति कोई और तरीक़ा अपनाना चाहे उसका वह तरीक़ा कदापि स्वीकार न किया जाएगा और आख़िरत में वह असफल रहेगा ।" (कुरआन, 3:85)

धर्म (दीन) के बारे में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है इसे किसी को ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता और न किसी तरह से बाध्य किया जा सकता है क्योंकि उसे आज़ादी मिली हुई है और विवेक (ज्ञान) भी दिया गया है मानना न मानना उसकी स्वयं की ज़िम्मेदारी है जैसा कि कुरआन मजीद में फ़रमाया गया है ।

"दीन के मामले में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है सही बात ग़लत विचारों से छांटकर अलग रख दी गयी है । अब जो कोई ताग़ूत का इन्कार करके अल्लाह पर ईमान ले आया उसने एक ऐसा मज़बूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं और अल्लाह (जिसका उसने सहारा लिया है) वह सब कुछ सुनने और जानने वाला है ।" (कुरआन, 2:256)

जिन लोगों में ईशभय, तक़वा और फ़िक्र (सोच-विचार) करने की क्षमता मौजूद होती है और अपने किये गये कर्मों के हिसाब-किताब से डरते हैं तथा आख़िरत पर पूर्णरूपेण यक़ीन रखते हैं ऐसे ही लोगों को ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त होता है । सफलता प्राप्त करने वालों की ख़ुसूसियत अल्लाह पाक ने अपनी किताब कुरआन मजीद में बयान फ़रमाया है ।

"अलिफ़-लाम-मीम यह कुरआन अल्लाह की किताब है इसमें कोई संदेह नहीं । हिदायत है उन परहेज़गार लोगों के लिए जो ग़ैब (परोक्ष) पर ईमान लाते हैं, नमाज़, क़ायम करते हैं, जो रोज़ी हमने उनको दी है उसमें से ख़र्च करते हैं । जो किताब तुम पर उतारी गयी है (अर्थात कुरआन) और जो किताबें तुम से पहले उतारी गयी थीं उन सब पर ईमान लाते हैं और आख़िरत पर यक़ीन रखते हैं । ऐसे लोग अपने रब की ओर से सीधे रास्ते पर हैं और वही सफलता पाने वाले हैं ।" (कुरआन, 2:1-5)

एहतिशाम ख़ान मोबाइल : 09425842976

पब्लिक ट्रैवेल्स

प्रातःदर्शन

सिवनी से मंडला	प्रातः 7:20
सिवनी से छिंदवाड़ा	प्रातः 7:55
छिंदवाड़ा से बालाघाट	प्रात:10:30
मंडला से सिवनी	दिन 12:50
बालाघाट से सिवनी	सायं 6:00
सिवनी से नैनपुर	सायं 5:40
नैनपुर से सिवनी	दिन 12:20

नोट : शादी व पार्टियों के लिए 33, 40 एवं 50 सीटर बस उपलब्ध है संपर्क करें-

एहतिशाम ख़ान, बस स्टैंड, सिवनी (मध्य प्रदेश)

कौन फैला रहा है साम्प्रदायिकता ?

❖ चांद ख़ां रहमानी

देश में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा कौन दे रहा है ? ग़रीब, मज़दूर, किसान, देहाती, अशिक्षित, कम पढ़ा-लिखा, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मज़दूर या फिर पढ़ा व पढ़े-लिखे वर्ग के कुछ लोग जिनका पेट भरा है । इस पढ़े-लिखे वर्ग के कुछ लोगों की मानसिकता देश और समाज में तनाव देखना चाहती है । ऐसे लोगों को नफ़रत फैलाने में परमानंद आता है । इन लोगों के लिए लाशें सिर्फ़ गिनती है और करोड़ों का नुक़सान जानकर सुख की अनुभूति होती है । लेकिन दिखावे के लिए ये लोग हाय-हाय करते हैं । लगता है जैसे देश में सबसे ज़्यादा दुखी और चिंतित यही हैं । पढ़े-लिखे कुछ लोग उनकी अपेक्षा ज़्यादा ख़तरनाक है जो कट्टर होने का दावा करते हैं या कट्टरता के नाम पर ऊधम मचाते हैं । मेरी यह राय तरुण विजय और उन जैसे कुछ लेखकों को पढ़ने के बाद बनी है ।

तरुण विजय 'जनसत्ता' में काफ़ी समय से कॉलम लिख रहे हैं । तरुण जी एक अख़बार के संपादक भी रह चुके हैं । उनका जब भी कॉलम पढ़ा, उसमें एक समुदाय विशेष के लिए घृणा देखी । दंगाइयों, घृणा फैलने वालों, देश की इज़्ज़त दांव पर लगाने वालों का उन्हें हर हाल में बचाव करते देखा । एक समुदाय विशेष से जितनी नफ़रत तरुण जी को है उतनी तो उन्हें भी नहीं है जो 1947 में अपना सब कुछ खोकर पाकिस्तान से विस्थापित हुए थें । तरुण जी का लेख 19 सितम्बर को 'देश अयोध्या' शीर्षक से पढ़ा । हमेशा की तरह उन्होंने घुमा-फिराकर मुसलमानों पर ही निशाना सधा और बताया कि हर हाल में मुसलमान दोषी और हमलावर हैं ।

ऐसे पढ़े-लिखे लोग हिन्दू-मुसलमान, सिख, ईसाई को साम्प्रदायिकता के चश्मे से देखते हैं । बी०जे०पी० एंड पार्टी के लोग इसका सबसे अच्छा और सटीक उदाहरण हैं । रथ यात्रा के बहाने देश को दंगों की आग में झोंकने वाले 'भीष्म पितामाह' भी बहुत पढ़े-लिखे हैं । उनकी शिक्षा कान्वेंट स्कूल से शुरू हुई थी । उनके सारथी भी कम पढ़ लिखे नहीं है । कोई वकील है, कोई प्रोफ़ेसर है तो कोई भूतपूर्व बड़ा अधिकारी रहा है । यानी भाजपा में पढ़े-लिखे फ़िरक़ापरस्तों की ज़बरदस्त भीड़ है । 99 प्रतिशत उसमें इसी सोच के लोग हैं । कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति कम नुक़सान पहुंचाता है जबकि पढ़ा-लिखा व्यक्ति ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है । 'भीष्म पितामाह' इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं ।

तरुण विजय ने कभी राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्भाव, सौहार्द की बात नहीं की । बल्कि राष्ट्रीयता-देश भक्ति के बहाने मुसलमानों पर निशाना साधते रहे हैं । पता नहीं वह इस तरह किस देश की सेवा कर रहे हैं । अगर यही देश सेवा है तो देश और समाज को विघटन की ओर जाने वाली ताक़त कौन-सी है । क्या राष्ट्रद्रोही वह होता है जो सेना से सीधे लड़े । वह नहीं, जो देश में धीरे-धीरे नफ़रत की दीवार खड़ी कर देश-समाज को विभाजन की ओर ले जाए । क़लम के माध्यम से लोगों में जातीयता का ज़हर घोले । जो दुश्मन सामने से हमला करता है उससे तो निबटा जा सकता है लेकिन जो देश भक्ति की आड़ में देश की जड़े खोदता है उससे तो सेना भी नहीं निबट सकती है ।

तरुण विजय जैसे मूर्धन्य जिन लोगों को अनपढ़, गंवार मानते हैं उनमें आज भी भाईचारा बहुत है । उनमें कट्टरता नहीं है और उनके अन्दर देश को बांटने की साज़िश के कुतर्क भी नहीं हैं । पहले आज से भी अच्छा माहौल था । उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के जिस मेंहनी गांव में मेरा बचपन बीता उसमें 85 प्रतिशत अहीर (यादव) और शेष 15 प्रतिशत में जाटव, धींवर, गडरिया, कुम्हार, तेली, धोबी और हरिजन हैं । इनमें चार घर मुसलमानों के हुआ करते थे जिनमें अब दो ही रह गये हैं । मुसलमानों में सिर्फ़ एक के पास खेत थे बाक़ी लोग बटाई पर खेती करते थे या फिर अपना धंधा करते थे । शादी या मौत के समय सारा इन्तिज़ाम अहीर ही करते थे । उनसे लड़ाई-झगड़े भी होते

थे लेकिन बहुत कम समय के लिए, जैसे परिवार में लोग झगड़ते हैं । हमें कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि हम अल्पसंख्यक हैं । जब पिता जी ने गांव छोड़ा तो लोग रोने लगे थे । हमारे पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे । आज हालात दूसरे हो गये हैं । पढ़े लिखे लोगों ने 1992 में जो माहौल तैयार किया उसमें तो हमारे आने पर दुख नहीं बल्कि खुशी मनायी जाती ।

1988 से पहले देश में अमनचैन था । इससे पहले जो साम्प्रदायिक दंगे होते थे उनके पीछे बहुत छोटे और स्थानीय कारण होते थे । उन छोटे कारणों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर क़स्बों और छोटे शहरों में और कभी-कभी बड़े शहरों में तनाव हो जाया करता था । उस तनाव से एक या दो शहर प्रभावित होते थे, पूरा देश नहीं । लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए बी०जे०पी० एंड कंपनी के कथित पढ़े-लिखे और देश भक्त लोगों ने देश और हिन्दुओं का हितैषी होने का जो पाखंड किया उन्हें तरुण जी जैसे लोग देश भक्ति का सर्टिफिकेट बांटते रहे हैं । प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, दयानंद पांडे जैसे लोग उनकी नज़रों में देश भक्त हैं तभी तो वह उनका बचाव करते हैं ।

यह कहते हुए कोई झिझक, सन्देह नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस ने मुसलमानों का कभी भला नहीं किया । उनका भावनात्मक दोहन किया और हिन्दू संगठनों का डर दिखाकर वोट हासिल किया । वह मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों के वोटों के बल पर लंबे समय तक सत्ता में बनी रही । लेकिन, इसका दूसरा पहलू यह रहा कि बी०जे०पी० और दूसरे अतिवादी संगठनों को सत्ता चाहिए थी लेकिन उसके पास ऐसी जनहित की कोई नीतियां नहीं थी जिससे वह कांग्रेस का काट कर सके । जब भाजपा को राम मंदिर के नाम पर दो से 80 सीटें मिली तो उसे सत्ता प्राप्ति का यही आसान और शार्टकट रास्ता दिखायी दिया । इस रास्ते में विकास, बेरोज़गारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार जैसा कोई मुद्दा आता ही नहीं था । एक बार इस भावुकता को भुना भी लिया लेकिन अब क्या ? आज भी भाजपा ने इस मुद्दे के बहाने सत्ता प्राप्ति की आस नहीं छोड़ी है ।

यह खुशी की बात भी है कि नयी पीढ़ी को मंदिर-मस्जिद से कोई बहुत लगाव नहीं है । वह मॉल में जाना चाहती है, हवाई जहाज़ और लग्जरी कार में सफ़र करना चाहती है । 1992 में सरयू में जो गंदा पानी था वह 2010 आते-आते बह गया और नयी पीढ़ी का साफ़-सुथरा पानी कल-कल करने लगा है । 30 सितम्बर के आये अयोध्या फ़ैसले के बाद की शांति और सद्भाव से यह बात साबित हो चुकी है । यह भी प्रमाणित हो चुका है कि हमारा देश अब परिपक्व हो चुका है और नयी पीढ़ी किसी गंदी राजनीति के बहकावे में नहीं आना चाहती है । आज अगर देश की कमान नयी पीढ़ी के हाथ नहीं होती तो 1992 का इतिहास दोहराने में कोई कमी नहीं रहती ।

HINDUSTAN TRAVELS

Prop.
ABDUL RASHID
Mob : 9425254335



Ambikapur to Bilaspur 4:30 (Morning)
Vishrampur to Bilaspur 4:25 (Morning)
Raipur to Ambikapur 9:20 (Night)

Address : Implipara, Ambikapur, Surguja-497001 (C.G)

इस सत्य को कौन झुठला सकता है कि साझी संस्कृति ही इस देश की जान, शान और विकास की बुनियाद है। जो लेखक मस्जिद को गुलामी की निशानी बताते नहीं थकते और मंदिर को देश की अस्मिता से जोड़कर लोगों की भावनाओं से खेलने की कोशिश में लगे रहते हैं क्या वह यह बता सकते हैं कि गुलामी की निशानी ढहाने के बाद कितने लोगों की ग़रीबी दूर हो गयी। जिन लोगों ने 17-18 साल पहले की इस त्रासदी को झेला है वह आज भी इस मुद्दे और इसके चलाने वालों को कोसते हैं। 1992 का डर अभी जब अयोध्या का फ़ैसला आने को था तब लोगों के चेहरे पर देखा जा सकता था। दरअस्ल यह मंदिर-मस्जिद का झगड़ा है ही नहीं। कुछ लोग मंदिर-मस्जिद के ज़रिये अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों के पास देश और समाज हित में कोई एजेडा है ही नहीं।

कुछ स्वयंभू लेखक यह कहते नहीं थकते कि हमलावरों ने ये किया या वो किया। आज सदियां बीत जाने के बाद गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या औचित्य है। पांच सौ साल पहले किसने क्या किया यह रोना रोने का समय नहीं है। उनकी पीढ़ियों से बदला लेने का कोई तुक है न उनकी क़ौम को अपमानित करने का हक़ है। अगर हम यही सोच रखेंगे तो अमेरिका या इंग्लैंड से संबंध नहीं बना सकते और न महाशक्ति बनने का सपना देख सकते हैं।

कुछ साम्प्रदायिक सोच रखने वाले लेखक, जिन्हें देश की तरक़्क़ी से कोई लेना-देना नहीं वह कितनी चालाकी से कह देते हैं कि अयोध्या मुद्दा हिन्दू-मुसलमानों का हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग कहते हैं कि यह भारत और अभारत का मुद्दा है। यानी मस्जिद की मांग कर रहे हैं वह भारतीय नहीं हैं और जो मंदिर की मांग कर रहे हैं वह न केवल भारतीय हैं बल्कि देश भक्त भी हैं। एक वह है जो भारत का है और एक वह है जो भारत का नहीं। एक वह जो हमारा है एक वह जो हमलावर है। यानी मुसलमान हमलावर हैं और वे हमारे नहीं। यही सोच देश को पीछे ले जाने का काम कर रही है। विकास रोकती है द्वेष पैदा करती है। यही बेगानेपन का एहसास कराती है। यही सोच एहसास कराती है कि आप हमारे नहीं।

ऐसे लेखक यह नहीं सोच पाते कि एक समुदाय को अलग कर कोई देश तरक़्क़ी नहीं कर सकता। तरुण विजय ने भी देश की तरक़्क़ी के लिए कभी लिखा हो ऐसा मैंने पढ़ा नहीं। और न ही उन्होंने कोई रचनात्मक सुझाव दिया सिवाय आलोचना करने या ज़हर उगलने के। ऐसे कुंठित लेखकों की आंखों पर साम्प्रदायिकता का चश्मा चढ़ा होता है जिसमें उन्हें एक वर्ग विशेष की शहादत दिखायी ही नहीं देती।

बीमार सोच के नेता और लेखक यह कहते नहीं थकते कि अमुक नेता और अमुक सरकार मुसलमानों का तुष्टिकरण कर रही है। अगर ऐसा है तो फिर मुसलमान इतने पिछड़े क्यों ? अब तक तो वह न जाने कहां पहुंच जाते। तब जस्टिस राजिन्दर सच्चर की रिपोर्ट इतनी भयानक क्यों आयी जिसमें कहा गया कि मुसलमानों की हालत दलितों भी गयी गुज़री है। मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से इतना पिछड़ा नहीं होता।

अब समय आ गया है कि हम इतिहास और मिथक से बाहर आकर देश के विकास की बात करें। यही आज के युवा की आवाज़ है। साम्प्रदायिक और दिवालिया सोच का नतीजा है लालगढ़, नक्सली और कश्मीर समस्या। हम उनको लगातार पराया मानते रहे हैं। उनकी समस्याओं को समझने की ज़रूरत नहीं समझी। जब हम उनको अपना मानेंगे तभी तो वे हमें अपना कहेंगे। जब दोनों एक दूसरे के दुख-सुख में शामिल होंगे तो फ़िर कोई दोस्त दूसरे दोस्त का ख़ून क्यों बहाएगा। हम किसी को तभी तो मारते हैं जब हम उसे दुश्मन समझते हैं।

POSTAL LIBERARY

जीवन ज्योति केन्द्र

पोस्टल लाइब्रेरी



Bainy Singh Ki Talaiya
Gohalpur, Jabalpur-482002
Mob. : 930092747, 9300101373

हज : अल्लाह का विशुद्ध आज्ञापालन

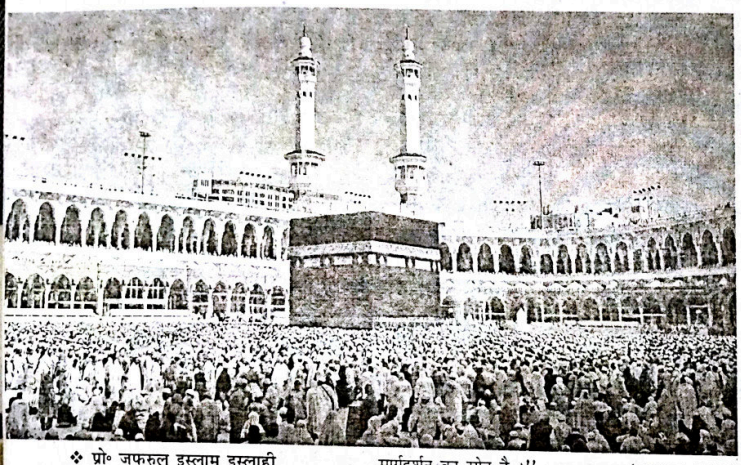

❖ प्रो॰ ज़फ़रुल इस्लाम इस्लाही

इस्लामी इबादतों में हज समस्त शारीरिक और आर्थिक इबादतों का संग्रह है । ''अल्लाह (की प्रसन्नता) के लिए उस व्यक्ति पर हज अनिवार्य है जो इसकी सामर्थ्य रखता हो ।'' (क़ुरआन, 3:97) इस आयत की व्याख्या करते हुए उलमा ने लिखा है कि 'सामर्थ्य' का आशय शारीरिक शक्ति और आर्थिक सामर्थ्य दोनों है ।

सामर्थ्य की शर्त से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस इबादत में शारीरिक श्रम करनी पड़ती है और अपना प्रिय धन भी ख़र्च करना पड़ता है । हज के फ़र्ज़ का महत्व और उसकी प्रमुखता इस कारण और बढ़ जाती है कि जिस घर की ज़ियारत और तवाफ़ के बारे में यह फ़र्ज़ (अर्थात हज) निर्धारित किया गया वह क़ुरआन के शब्दों में मनुष्यों के लिए निर्मित संसार की पहली इबादतगाह है–''यह पहला घर है, जो मक्का में लोगों के लिए इबादत के उद्देश्य से बनाया गया है, जो बरकत वाला है और लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है ।'' (क़ुरआन, 3:96)

इस आयत से यह स्पष्ट होता है कि यह बड़ी बरकत वाला और मार्गदर्शन का केन्द्र है । यहीं से एकेश्वरवाद की आवाज़ ऊंची हुई और सारे संसार में फैल गयी । इसी के क्षितिज से सत्य की किरणें फूटीं जिसने पूरी दुनिया को प्रकाशित कर दिया । इस घर के निर्माण का उद्देश्य था कि यह एकेश्वरवाद का केन्द्र बन जाए और सबसे महत्वपूर्ण इबादत अर्थात नमाज़ के लिए क़िब्ला (नमाज़ में खड़ा होने की दिशा) ठहरे ।

''और हमने इबराहीम को काबा का स्थान बता दिया और यह आदेश दिया कि मेरे साथ किसी को साझीदार न बनाना और मेरे घर को तवाफ़ (परिक्रमा) करने वालों और रुकूअ और सजदा करने वालों (अर्थात नमाज़ पढ़ने वालों) के लिए पाक रखना ।'' (क़ुरआन, 22:26)

इस्लामी आस्थाओं में एकेश्वरवाद को जो मौलिक महत्व प्राप्त है और इबादतों में नमाज़ का जो उच्च स्थान है,

एकेश्वरवाद का केन्द्र है काबा



उसे बयान करने की आवश्यकता नहीं । इस दृष्टि से ख़ाना-ए-काबा वास्तविक अर्थों में दीन का स्रोत एवं केन्द्र है । इसकी यह केन्द्रीता मात्र इस कारण से नहीं है कि हज के अवसर पर सारी दुनिया के मुसलमान उसकी ओर झुंड के झुंड जाते हैं और उसकी ज़ियारत एवं तवाफ़ से लाभांवित होते हैं, बल्कि इस कारण से भी है कि ईमान वालों के पूरे जीवन की धुरी यही है । यह घर क़ुरआन के अनुसार शांति एवं सुरक्षा का केन्द्र भी है, इसलिए कि जो भी इसके आसपास में आता है, वह सुरक्षित हो जाता है और इस तरह भी ख़ाना-ए-काबा शांति की ज़मानत देता है कि यह जिस आस्था और सोच का केन्द्र है उसे स्वीकार करने से इस संसार में शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित होगी और परलोक के जीवन में स्थाई सुख एवं शान्ति प्राप्त होगी । जैसा कि क़ुरआन में बार-बार इस सच्चाई का उल्लेख किया गया है । तीसरे उस घर की महानता और केन्द्रीयता इससे भी प्रमाणित होती है कि हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) ने इसके लिए जो दुआएं मांगी थीं वे अल्लाह के हां स्वीकृत हुईं । अर्थात यह कि यह एकेश्वरवाद का केन्द्र बन जाए, शांति का स्रोत सिद्ध हो, लोगों के दिल इसकी ओर खिंचें, इसकी बरकत से लोगों के लिए फलों और आजीविका के अन्य साधनों की प्रचुरता हो जाए ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह दुआ स्वीकृत हुई और उसी का प्रभाव है कि प्रत्येक ईमान वाले का दिल उस केन्द्र से जुड़ा हुआ है । वह प्रतिदिन अल्लाह को याद करके उसकी प्रशंसा और गुणगान करता है । उसी की ओर मुंह करके अल्लाह के आगे झुकता है और सजदे करता है । सच पूछिए तो उस पवित्र घर की ज़ियारत एवं तवाफ़ (परिक्रमा) की बरकतों से लाभांवित करने, उसे एकेश्वरवाद के केन्द्र से संबंध को सुदृढ़ करने और अल्लाह के आज्ञापालन की अनोखी घटना की याद ताज़ा करने के लिए ही कुछ शर्तों के साथ ईमान वालों पर हज फ़र्ज़ ठहराया गया है, ताकि दुनिा के कोने-कोने से लोग यहां आएं एकेश्वरवाद की

आवाज़ ऊंची करें । अल्लाह की सेवा में उपस्थित होकर अपने आज्ञापालन की स्वीकारोक्ति की बार-बार घोषणा करें और इस भावना एवं संकल्प के साथ अपने-अपने घर वापस जाएं कि अल्लाह के आज्ञापालन के लिए अपना शेष जीवन लगा देंगे । इस पवित्र घर के मालिक ने उसके निर्माणकर्ता को इसी का उपदेश दिया था और इसी की आम घोषणा की प्रेरणा दी थी–"और लोगों को हज के लिए सामान्य रूप से घोषित कर दो कि वे तुम्हारे पास प्रत्येक दूरवर्ती स्थान से पैदल और ऊंटों पर सवार आएं ताकि वे लाभ देखें जो वहां उनके लिए रखे गये हैं और कुछ निश्चित दिनों में न जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन्हें प्रदान किये हैं ।" (कुरआन, 22:26)

हज क्या है ? विचार किया जाए तो यह सच्चाई सामने आएगी कि यह दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा में खरे उतरने और अल्लाह के आदेश को निस्संकोच पूरा करने की यादगार है । हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ने जिस प्रकार अपने स्रष्टा एवं स्वामी के आह्वान पर स्वयं को समर्पित किया और स्वप्न में दिखाये गये दृश्य को अल्लाह का आदेश समझते हुए उसे पूरा करने के लिए बिना झिझक तैयार हो गये वह अल्लाह के आज्ञापालन की सबसे अद्भुत घटना थी । अर्थात अल्लाह के आदेश की पूर्ति में अपने चहीते बेटे की कुरबानी के लिए तैयार हो जाना और बेटे का इसके लिए सिर झुका देना । हज की अदायगी का उद्देश्य यही पाठ याद दिलाना है कि बन्दा जीवन के हर मामले में अल्लाह के आदेश के सामने अपनी गर्दन झुका दे और अपनी इच्छा एवं कर्मों को अल्लाह की मर्ज़ी के अधीन कर दे । यही इस्लाम की आत्मा है और इसी की ताज़गी और जागरूकता इस फ़र्ज़ की अदायगी का मक़सद है ।

हज क्या है ? विचार किया जाए तो यह सच्चाई सामने आएगी कि यह दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा में खरे उतरने और अल्लाह के आदेश को निस्संकोच पूरा करने की यादगार है । हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ने जिस प्रकार अपने स्रष्टा एवं स्वामी के आह्वान पर स्वयं को समर्पित किया और स्वप्न में दिखाये गये दृश्य को अल्लाह का आदेश समझते हुए उसे पूरा करने के लिए बिना झिझक तैयार हो गये वह अल्लाह के आज्ञापालन की सबसे अद्भुत घटना थी ।

यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुरआन में हज़रत इबराहीम (अलैहि०) की इस भावना को शब्द "इस्लाम" से व्यक्त किया गया है–"इबराहीम तो वह व्यक्ति है, जिसको हमने संसार में अपने कार्य के लिए चुन लिया था और परलोक में उसकी गणना अच्छों में होगी । जब उसके पालनहार ने उससे कहा कि "मुस्लिम हो जा" (अर्थात स्वयं को समर्पित कर दे) तो उसने तुरंत कहा कि मैं जगत के स्वामी का मुस्लिम हो गया (अर्थात स्वयं को जगत के स्वामी के आगे समर्पित कर दिया) (कुरआन, 2:130-131)

और जब हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ने अपनी आज्ञापालन की भावना को वास्तव में प्रकट कर दिया और बेटे ने भी पिता के कहने पर गर्दन झुका दी तो उनकी इस आज्ञाकारिता को भी शब्द इस्लाम से व्यक्त किया गया–और जब उन दोनों ने अल्लाह के सामने अपने आपको अर्पित कर दिया और उन्होंने (हज़रत इबराहीम ने) उनको (हज़रत इस्माईल को) माथे के बल ज़मीन पर लिटा दिया ।"

(कुरआन, 37:103)

जब हज करने वाले एहराम की हालत में, सादा एवं बिना सिले कपड़े पहनते हैं । अपने को साज-सज्जा से दूर रखते हैं, लड़ाई-झगड़े, अश्लील बातों और कामेच्छाओं से रुके रहते हैं और अत्यंत शुद्ध हृदय से अल्लाह के घर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उनकी ज़ुबान पर ये कलिमे जारी रहते हैं–"मैं हाज़िर हूं ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूं, तेरा कोई साझीदार नहीं, निस्सन्देह हर तरह की प्रशंसा तेरे लिए, सब नेमतें तेरी हैं, बादशाहत तेरी ही है, तेरा कोई साझीदार नहीं ।"

तो यह वास्तव में अपनी मुहताजी और महत्वहीनता का प्रदर्शन है और अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण की स्वीकारोक्ति है । अरफ़ात के मैदान में जब वे जमा होते हैं तो सर्वजगत

के स्वामी अल्लाह के आगे रोते-गिड़गिड़ाते हैं । अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह की दयालुता एवं अनुग्रहों की मांग करते हैं और बचे हुए जीवन के लिए अल्लाह के आज्ञापालन का संकल्प लेते हैं । जब वे जानवर की क़ुरबानी की सुन्नत अदा करते हैं तो मानो अल्लाह के आदेश के पालन में अपनी जान, माल और अपनी इच्छाओं, यहां तक कि अपनी प्रिय चीज़ों की भी क़ुरबानी के लिए अपनी स्वीकृति प्रकट करते हैं ।

"मेरी नमाज़ और मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो सर्वजगत का स्वामी है, उसका कोई साझीदार नहीं । इसी का मुझे आदेश दिया गया है और मैं सबसे पहले इस्लाम (पूर्ण समर्पण एवं आज्ञापालन) की स्वीकारोक्ति करता हूं ।" (क़ुरआन, 6:163-164)

हज़रत इबराहीम (अलैहि०) की क़ुरबानी मात्र एक पिता का अपने इकलौते बेटे के ख़ुन से ज़मीन को रंगीन कर देना न था, बल्कि अल्लाह के सामने अपनी समस्त भावनाओं और इच्छाओं, मनोकामनाओं और अभिलाषाओं का बलिदान था और अल्लाह के आदेश के आगे अपने हर प्रकार के इरादे और मर्ज़ी को मिटा देना था । जानवर की क़ुरबानी आन्तरिक भावनाओं की उसी वास्तविक आकृति का बाहरी प्रतिबिम्ब थी । यह मात्र ख़ून और गोश्त की क़ुरबानी नहीं थी बल्कि अल्लाह की राह में अपनी हर प्रिय चीज़ की क़ुरबानी की प्रतीक थी ।

इस प्रकार यह वास्तविकता अच्छी तरह स्पष्ट हो गयी कि हज के फ़रीज़े से जो वास्तविक पैग़ाम हमें मिलता है वह है अल्लाह की इबादत और आज्ञापालन में विशुद्ध हो जाना और उसकी आज्ञा के पालन में अपनी प्रिय से प्रिय चीज़ को क़ुरबान करने के लिए हमेशा तैयार रहना । रहा यह सवाल कि हृदय की यह विशुद्धता और बलिदान की यह भावना कैसे पैदा हो । हज से संबंधित क़ुरआन की आयतों से यह मालूम होता है कि इसका प्रेरक दिल में तक़वा (ईशपरायणता) का विकास है । हज के शआइर की ताज़ीम का मामला हो, अल्लाह के लिए क़ुरबानी पेश करने का अवसर हो, हज के सफ़र के लिए बेहतरीन पाथेय की आवश्यकता हो इन सबकी जड़ तक़वा में है या उनकी निर्भरता तक़वा पर ही है ?-"जो अल्लाह के निश्चित किये हुए (भक्ति संबंधी) निशानों का आदर करे तो यह हृदयों की धर्मपरायणता से है)" (क़ुरआन, 22:32) "अल्लाह के यहां क़ुरबानी का मांस या रक्त कदापि नहीं पहुंचता किन्तु उसे तुम्हारी धर्मनिष्ठा पहुंचती है ।" (क़ुरआन, 22:37) "और हज की यात्रा के लिए पाथेय साथ ले जाओ और सबसे अच्छा पाथेय धर्मपरायणता है ।" (क़ुरआन, 2:197)

सच पूछिए तो हर इबादत या भले कामों का उद्देश्य धर्मपरायणता की प्राप्ति ही है । विभिन्न इबादतों के सिलसिले में इस उद्देश्य को स्पष्ट करने के अलावा क़ुरआन में एक जगह सम्मिलित रूप से इबादतों का यही उद्देश्य बयान किया गया है-"ऐ लोगो ! अपने पालनहार की इबादत करो, जिसने तुम लोगों को पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुम से पहले थे, ताकि तुम धर्मपरायणता अपनाने वाले बन जाओ ।" (क़ुरआन, 2:21)

तक़वा जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, दिल की एक विशेष स्थिति का नाम है, जो अल्लाह के डर, क़ियामत के दिन के हिसाब-किताब के एहसास और पारलौकिक जीवन के परिणाम की चिन्ता से दिल में पैदा होती है और विकसित होती है । ईशभय, अल्लाह की ओर पलटना, अल्लाह की याद, इबादत और क्षमायाचना एवं अनुकम्पा एवं दया की मांग आदि इसके अवयव हैं । हज अदा करने के दौरान ये एहसास और दशाएं अगर हज अदा करने वाले के दिल एवं दिमाग़ में वास्तविक अर्थों में जारी हो जाएं तो उसके जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ जाता है और वह रूहानी बरकतों और रहमतों के ख़ज़ाने के साथ घर वापस लौटता है और इसी का नाम है ईशपराणता के प्रभावों का प्रकट होना । क़ुरआन की स्पष्ट घोषणा है-

निस्सन्देह ईशपरायणता वालों के लिए सफलता है । (क़ुरआन, 78:31)

निस्सन्देह ईशपरायण लोगों के लिए परिणाम की अच्छाई है । (क़ुरआन, 38:49)

इनके अलावा बहुत-सी आयतों और सूरतों में उन नेमतों का उल्लेख है, जो तक़वा वालों को मिलेंगी । हृदय की विशुद्धता एवं ईशपरायणता के साथ हज अदा करने वालों को प्राप्त होने वाली बरकतों विशेष रूप से उनके लिए मग़फ़िरत और रहमत की ख़ुशख़बरी कई हदीसों में उल्लिखित है ।

हज : उत्थान की प्रशस्ति

■ मौलाना सैयद सुलैमान नदवी

मानव-मनोविज्ञान यह है और दैनिक अनुभव इसका साक्षी है कि इन्सान अपनी ज़िन्दगी में किसी व्यापक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए हमेशा ज़िन्दगी के किसी मोड़ और सीमा-रेखा की तलाश करता है, जहां पहुंचकर उसकी पिछली और आने वाली ज़िन्दगी के दो विशिष्ट हिस्से पैदा हो जाएं ।

इसलिए लोग अपने परिवर्तन के लिए जाड़ा, गर्मी या बरसात की प्रतीक्षा करते हैं । बहुत से लोग शादी के बाद या संतान प्राप्ति के बाद या शिक्षा ग्रहण के बाद, किसी सर्विस के बाद या किसी बड़ी कामयाबी या किसी विशेष अभियान और सफ़र के बाद या किसी के मुरीद (शिष्य) हो जाने के बाद बदल जाते हैं या अपने को बदल लेने पर समर्थ हो जाते हैं–क्योंकि ये उनकी ज़िन्दगी की महत्वपूर्ण घटनाएं उनकी अगली और पिछली ज़िन्दगी में विभेद-रेखा डाल देती हैं, जहां से इधर या उधर मुड़ जाना संभव हो जाता है ।

हज वास्तव में इसी तरह मानव जीवन की पिछली और आगामी ज़िन्दगी के बीच एक सीमा-रेखा का काम देता है–और सुधार एवं परिवर्तन की ओर अपनी ज़िन्दगी को फेर देने का अवसर प्रदान करता है । जहां से इन्सान अपनी पिछली ज़िन्दगी जैसी भी हो उसे ख़त्म करके नयी ज़िन्दगी शुरू करता है–और जीवन का बीता अध्याय बन्द होकर उसका नवीन अध्याय खुल जाता है । बल्कि यूं कहना चाहिए कि वह इसके बाद अपने नये आमाल (कर्मों) के लिए नये सिरे से पैदा होता है । इसीलिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने यह फ़रमाया :

'जिसने खुदा के लिए हज किया और उसमें वासना पूर्ति नहीं की और न गुनाह किया तो वह ऐसा होकर लौटता है जैसे उस दिन था, जिस दिन उसकी मां ने उसे जन्म दिया ।' अर्थात एक नया जीवन शुरू करता है, जिसमें दीन व दुनिया दोनों की भलाइयां जमा और दोनों की कामयाबियां शामिल होंगी ।

इबराहीम (अलैहि०) के अनुयायियों की अस्ल बुनियाद क़ुरबानी थी और यही क़ुरबानी हज़रत इबराहीम (अलैहि०) की पैग़म्बराना और आध्यात्मिक ज़िन्दगी की विशिष्टता थी–और इसी परीक्षा में पूरा उतरने के कारण वे और उनकी औलाद हर क़िस्म की नेमतों और बरकतों से मालामाल की गयी । लेकिन यह क़ुरबानी क्या थी ? यह महज़ ख़ून और गोश्त की क़ुरबानी न थी बल्कि रूह और दिल की क़ुरबानी थी । यह अल्लाह के सिवा ग़ैर की मुहब्बत की क़ुरबानी अल्लाह की राह में थी ।

यह समर्पण, शुक्र व सब्र की वह परीक्षा थी, जिसे पूरा किये बिना दुनिया का नेतृत्व और आख़िरत की नेकी नहीं मिल सकती । यह बाप का अपने इकलौते बेटे के ख़ून से ज़मीन को रंगीन कर देना न था बल्कि खुदा के सामने अपनी तमाम भावनाओं, इच्छाओं, अभिलाषाओं की क़ुरबानी थी–और खुदा के हुक्म के सामने अपने हर प्रकार के इरादे और अपनी इच्छा को ख़त्म कर देना था ।

Niyaz Ahmed
Tel. : 2292062 (S)
M. : 98261-29877
Hosiery Centre
Wholesaler
Readymade & Handloom
B/43 Uttar Gangotri, Supela, Bhilai, Durg (C.G)

हज़रत इबराहीम (अलैहि०) के आदर्शों का अनुसरण करें

■ विद्या प्रकाश

मानव समाज में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के आयोजन के पीछे एक व्यापक मनुष्य हितकारी उद्देश्य तथा उन्नतिपरक सन्देश निहित होता है । ये त्योहार दिग्भ्रमित मानवता का सही मार्गदर्शन करते रहे हैं । ईदुज़्ज़ुहा का पर्व जिसे जनसाधारण के बीच में हम बक़रीद के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा ही महानतम पर्व है, जो लक्ष्य की दृष्टि से हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रेरक है । हज़रत इबराहीम (अलैहि०) द्वारा की गयी महान और नाक़ाबिलेफ़रामोश क़ुरबानी की याद में हर साल माहे ज़िलहिज्जा में निहायत अक़ीदतमन्दाना तरीक़े से मनाया जाता है । यह एक ऐसा पावन त्योहार है जिसमें वर्तमान समाज की तमाम सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा सामुदायिक समस्याओं का समाधान-सूत्र समाया हुआ है ।

आज हमारे समाज में चारों तरफ़ बड़ी अशान्ति, तनाव और असंतोष है । इनका मुख्य कारण मोहासक्ति है । हमारी इस मोहासक्ति के अनेक रूप हैं । संतान, अर्थ, जाति-सम्प्रदाय का मोह आदि । इसी मोह के वशीभूत होकर हम अपने जीवन में क्या-क्या पापाचार और जघन्य अपराध नहीं करते ? कमीशनख़ोरी, कालाबाज़ारी, रिश्वतख़ोरी, भ्रष्टाचार, दहेज, करापवंचन, अपमिश्रण आदि के मूल में किसी न किसी रूप में हमारे अन्तरतम में व्याप्त मोहासक्ति की यही कलुषित उद्दाम भावना रहती है । हम ऐन्द्रिक सुखोपभोग को स्वजीवन का एकमात्र लक्ष्य मान बैठे हैं तथा ऊंचे अख़्लाक़ी मज़हबी उसूलों की खुल्लमखुल्ला बेक़द्री और नाफ़रमानी करने लगे हैं । हम हर साल बक़रीद के मौक़े पर हज़रत इहराहीम (अलैहि०) और उनके जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ नूरे चश्म हज़रत इस्माईल (अलैहि०) की महान क़ुरबानी से संबंधित बेमिसाल तारीख़ी वाक़िया का अफ़साना बयान करते हैं मगर इससे हमें जो नसीहत हासिल होती है, उसकी तरफ़ से हम आंखें मूंद लेते हैं तथा उसकी अनदेखी कर जाते हैं । हमारा अमल अख़्लाक़ी और मज़हबी क़द्रों के एकदम ख़िलाफ़ होता है । हमारी हर लम्हा यही कोशिश रहती है कि नैतिक मूल्यों का उल्लंघन कर अपनी औलाद की ख़ातिर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा धन-दौलत इकट्ठी कर सकते हैं, कर लें। हर आदमी इसी उधेड़बुन में व्यस्त है । मगर हज़रत इबराहीम (अलैहि०) द्वारा दिखाये गये रास्ते पर चलने में हमारी न दिलचस्पी है और न हमारे पास इतनी फ़ुरसत है । जिस्मानी सुख और फ़ानी दुनियावी दौलत को ही हमने ज़िन्दगी का वाहिद मक़सद और नसबुलऐन समझ लिया है । इसी दुनियापरस्ती और अय्याशी ने आज हमसे हमारा रूहानी चैन तथा दिली सब्रो-सुकून छीन लिया है । जिसके कारण आज दुनिया में चारों ओर अशान्ति, कलह तथा तनाव व्याप्त है

आज वक़्त का तक़ाज़ा और ज़रूरत यही है कि हम हज़रत इबराहीम (अलैहि०) के आदर्श-सिद्धांतों का अपने व्यावहारिक जीवन में अनुकरण करें ।



अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

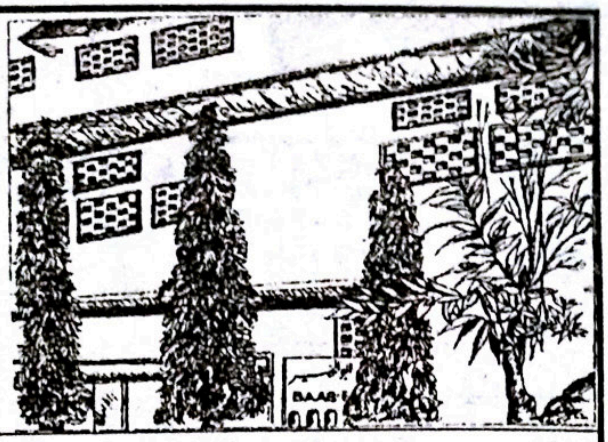

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

● 24 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा ● 6 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई : 6 बैच 70 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 3 बैच 40 छात्राएं ● 1993 ई० से 2010 ई० तक 63 अनाथ बच्चियों और 37 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 13 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 8000/- रुपये है—आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 73000/- रुपये ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में ख़ुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें—"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

.....पता.....

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA

☎ 0631-2734437 ● Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

BANK A/C NO.: 7752 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010007752

संस्थापक महासचिव

इक़बाल अहमद ख़ां

हलाल मांस का ही भक्षण क्यों ?

■ इस्लाम में हलाल गोश्त का भक्षण क्यों अनिवार्य है ? इसके वैज्ञानिक, धार्मिक, व्यावहारिक कारण अवश्य होंगे, कृपया बताएं ?

जवाब : आपका यह ख़याल बिल्कुल सही है कि इस्लाम में 'हलाल' गोश्त ही के स्वीकार्य होने का कोई वैज्ञानिक, धार्मिक, व्यावहारिक कारण अवश्य होगा ।

तथ्य है कि कोई भी गोश्त उसी वक़्त हलाल होगा जब–

1. जानवर, स्वयं हलाल हो, जैसे मुर्ग़ा, कबूतर, बकरा हिरन आदि ।

2. इस्लामी तरीक़े से ज़िब्ह किया गया हो, अर्थात गर्दन मरोड़ कर या सता-सता कर, या शरीर के अनेक अंगों को ज़ख़्मी करके न मारा गया हो ।

3. अल्लाह का नाम लेकर ज़िब्ह किया गया हो ।

4. ज़िब्ह करने वाला स्वयं मुस्लिम हो । (यहूदियों और ईसाइयों का ज़िब्ह किया हुआ जानवर भी क़ुरआन ने वैध/हलाल क़रार दिया है । क्योंकि वे भी आसमानी किताब वाले हैं ।)

5. तीर, बन्दूक़ या शिकारी कुत्ते के द्वारा जानवर शिकार करने की स्थिति में यह ज़रूरी है कि तीर या बंदूक़ चलाते वक़्त या शिकार पर कुत्ता छोड़ते वक़्त अल्लाह का नाम लिया जाए अर्थात 'बिस्मिल्लाह' कहा जाए । इस मसले का धार्मिक दृष्टिकोण यह है कि जब अल्लाह ही समस्त संसार बल्कि पूरी सृष्टि का स्रष्टा है तो वही इसका स्वामी और शासक भी है और उसी को हक़ पहुंचता है कि मानव-जीवन के लिए नीति-निर्धारण करे, दिशा-निर्देश दे, पूरी ज़िन्दगी के लिए क़ानून बनाए । हलाल-हराम, जायज़-नाजायज़ या अच्छे-बुरे की कसौटी उपलब्ध कराये । यह महान कार्य उसने रसूलों (ईशदूतों) के ज़रिये कर दिया है ।

फिर चूंकि वह पूरी सृष्टि का रचयिता है इसलिए उसे इस सृष्टि की प्रत्येक चीज़ (चाहे वह जीवधारी हो या कुछ और) की संरचना, स्वभाव और प्रकृति का पता है । उसे पता है कि कौन-सी चीज़ इन्सान के लिए फ़ायदेमंद है और कौन नुक़सानदेह । अत: मानव-जीवन के लिए नियम निर्धारित करना उसका परम अधिकार है । अब यदि वह कहता है कि फ़्लां-फ़्लां जानवरों/पक्षियों का गोश्त हलाल/वैध है और अमुक जानवरों को गोश्त हराम/वर्जित तो यह उसका क़ानूनी हक़ है जिसे माना जाना चाहिए । यदि उसका रसूल बताता है कि जानवर को इस तरीक़े से ज़िब्ह किया जाए तो यह भी विवेक सम्मत है । यदि वह अपना यह हक़ जताये कि सारी सृष्टि का स्वामी मैं हूं । अत: मेरे नाम से ही जानवर को ज़िब्ह किया जाए और तभी वह मान्य और स्वीकृत होगा, तो यह भी उचित है । इस दृष्टिकोण से वे सभी गोश्त हराम होंगे जिनके जानवरों को अल्लाह के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, आराध्य, पीर, वली, बुज़ुर्ग, देवी-देवता के नाम पर ज़िब्ह किया गया हो ।

उसी व्यक्ति का ज़िब्ह किया हुआ जानवर हलाल होगा जो स्वयं अल्लाह पर (उसकी तमाम शर्तों और क़ायदे-क़ानून के अनुसार) ईमान रखता हो । अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ को ग़ैरुल्लाह (किसी अन्य आराध्य) के नाम पर मनमाने तरीक़े से ज़िब्ह करने का सीधा अर्थ है : अल्लाह की सत्ता को चुनौती देना ।

हलाल गोश्त का मानवीय पहलू यह है कि जानवर को इस प्रकार ज़िब्ह किया जाए कि उसे ज़रूरी हद तक, कम से कम तकलीफ़ हो । अत: उसे लिटा कर ज़िब्ह करना गर्दन मरोड़ने, तड़पा-तड़पा कर मारने, शरीर के अनेक अंगों को लहूलुहान करने की अपेक्षा बेहतर है ।

इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि जानवर को पहलू के बल लिटाकर गले पर तेज़ धारदार छुरी फेरकर ज़िब्ह करना अन्य विधियों की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ है । इसके अनेक कारण हैं :

● गले में ख़ून की चारों नलिकाएं एक जगह मौजूद होती हैं । इनको काटने से बड़ी तेज़ी से शरीर का सारा ख़ून निकल कर बाहर आ जाता है । इसलिए जानवर को ज़िब्ह करने के लिए सबसे उपयुक्त अंग उसका गला है ।

(शेष पृष्ठ 46 पर)

मदद के लिए अपील

जामिया मिस्बाहुल उलूम चौकोनियां; पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इंन्तिज़ाम है। यहां दीनी और अस्री उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ सिमोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्बाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

जामिया के मंसूबे

● मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर ● जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना ● लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर ● टेक्निकल सेन्टर का क़याम ● हॉस्टल की तामीर ● अनाथालय की तामीर ● फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

अह्ले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह के यहां उसका बदला पाएं।

—: भेजने का पता :—

जामिया मिस्बाहुल उलूम

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09450587737, 09793424547

जामिया का बैंक खाता नं॰

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

अंग्रेज़ और कर्नाटक के नवाब

❖ पंडित सुन्दर लाल

मैसूर राज्य पर पूर्ण अधिकार कर लेने के बाद अंग्रेज़ों ने कर्नाटक राज्य को हड़पने की साज़िश रची । इस साज़िश के तहत उन्होंने कर्नाटक राज्य से काफ़ी धन वसूल किया और जब कर्नाटक से काफ़ी धन खींचा जा चुका और नवाब का ख़ज़ाना ख़ाली हो गया तो मार्क्विस वेल्सली ने अपनी निश्चित नीति के अनुसार रियासत पर क़ब्ज़ा कर लेने की तज़वीज़ें शुरू कीं ।

कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली को 'वालाजाह' भी कहते थे । मुहम्मद अली अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा दोस्त था । मुहम्मद अली और कंपनी के बीच 'चिरस्थायी मित्रता' की संधि हो चुकी थी, जिसमें अंग्रेज़ों ने मुहम्मद अली और उसके राज की रक्षा के लिए अपनी एक सेना कर्नाटक में रखने का ज़िम्मा लिया था और उस सेना के ख़र्च के लिए नवाब ने 9 लाख पैगोदा यानी क़रीब 30 लाख रुपये सालाना अदा करने का वादा किया था । यह रक़म माहवारी क़िस्तों में अदा की जाती थी । नवाब मुहम्मद अली हर महीने ठीक समय पर कंपनी की रक़म अदा करता रहा, यहां तक कि उसने अपने कुछ ज़िलों की मालगुज़ारी बतौर ज़मानत इस अदायगी के लिए अलग कर दी थी । मुहम्मद अली के बाद उसका बेटा उमदतुल उमरा कर्नाटक का नवाब हुआ । उमदतुल उमरा बाप की तरह हर महीने ठीक समय पर कंपनी की रक़म अदा करता रहा और संधि की शर्तों का ठीक-ठीक पालन करता रहा । इसलिए कर्नाटक पर क़ब्ज़ा करने का बहाना इतनी आसानी से न मिल सकता था ।

नवाब उमदतुल उमरा के नाम वेल्सली का पत्र

वेल्सली का दिमाग़ इन बातों में ख़ूब चलता था । 24 अप्रैल 1799 को टीपू के साथ दोबारा युद्ध छेड़ते समय, उसने नवाब उमदतुल उमरा को एक लंबा पत्र लिखा । इस पत्र में उमदतुल उमरा पर यह इलज़ाम लगाया गया कि आपने कर्नाटक के वे ज़िले जिनकी आमदनी कंपनी को देने के लिए अलग कर दी गयी थी, अपने कुछ क़र्ज़दारों के पास रहन रख दिये हैं, आपकी आर्थिक हालत ख़राब है और भविष्य में कंपनी की रक़म की अदायगी में कठिनाई की संभावना है । इसी पत्र में वेल्सली ने स्वीकार किया कि उमदतुल उमरा हर महीने ठीक समय पर कंपनी की रक़म अदा करता रहता था । फिर भी इस भावी "कठिनाई की संभावना" की बिना पर नवाब को यह सलाह की गयी कि आप कम से कम उस समय तक के लिए जिस समय तक कि कंपनी और टीपू में युद्ध रहे, अपनी सलतनत और उसकी मालगुज़ारी का इन्तिज़ाम कंपनी के सुपुर्द कर दीजिए ।

नवाब मुहम्मद अली ने हैदर अली और टीपू के साथ अंग्रेजों के युद्धों में सदा अंग्रेज़ों का साथ दिया था । सन 1792 के मैसूर युद्ध के बाद की संधि में कहीं एक वाक्य यह भी रख दिया गया था कि भविष्य में यदि कर्नाटक या उसके आसपास कोई युद्ध हो तो कंपनी को उस युद्ध की सफलता के लिए इस बात का अधिकार होगा कि वह कर्नाटक के जितने भाग पर आवश्यक समझे, थोड़े समय के लिए क़ब्ज़ा कर ले । नवाब मुहम्मद अली के उस संधि पर दस्तख़त तक न थे । बल्कि वेल्सली ने अपने पत्र में साफ़ लिखा है कि मुहम्मद अली और उसका बेटा उमदतुल उमरा, दोनों इस शर्त के ख़िलाफ़ थे । फिर भी अपनी इस समय की मांग को जायज़ साबित करने के लिए वेल्सली ने अपने पत्र में अब उस शर्त का हवाला दिया ।

नवाब उमदतुल उमरा समझ गया कि वेल्सली इस बहाने कर्नाटक के एक बहुत बड़े भाग को अंग्रेज़ी राज में मिला लेना चाहता है, वेल्सली के पत्र में धमकियां भी भरी हुई थीं । फिर भी अमदतुल उमरा इतनी आसानी से अपने बाप-दादा से पाया हुआ राज छोड़ देने के लिए राज़ी न हो सका । इस बीच सुल्तान टीपू की मृत्यु हो गयी और श्रीरंगपट्टन अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया । जिस सेना ने श्रीरंगपट्टन विजय किया उसमें वे सब पलटनें भी शामिल थीं जिनके ख़र्च के लिए उमदतुल उमरा कंपनी को 9 लाख पैगोदा सालाना दिया करता था । श्रीरंगपट्टन की विजय के बाद 13 मई 1799 को नवाब ने वेल्सली के पत्र के उत्तर में हिम्मत के साथ एक अत्यंत विनीत और साफ़ किंतु हर तरह उचित और गंभीर पत्र लिखा ।

HUDA BUILDERS & DEVELOPERS

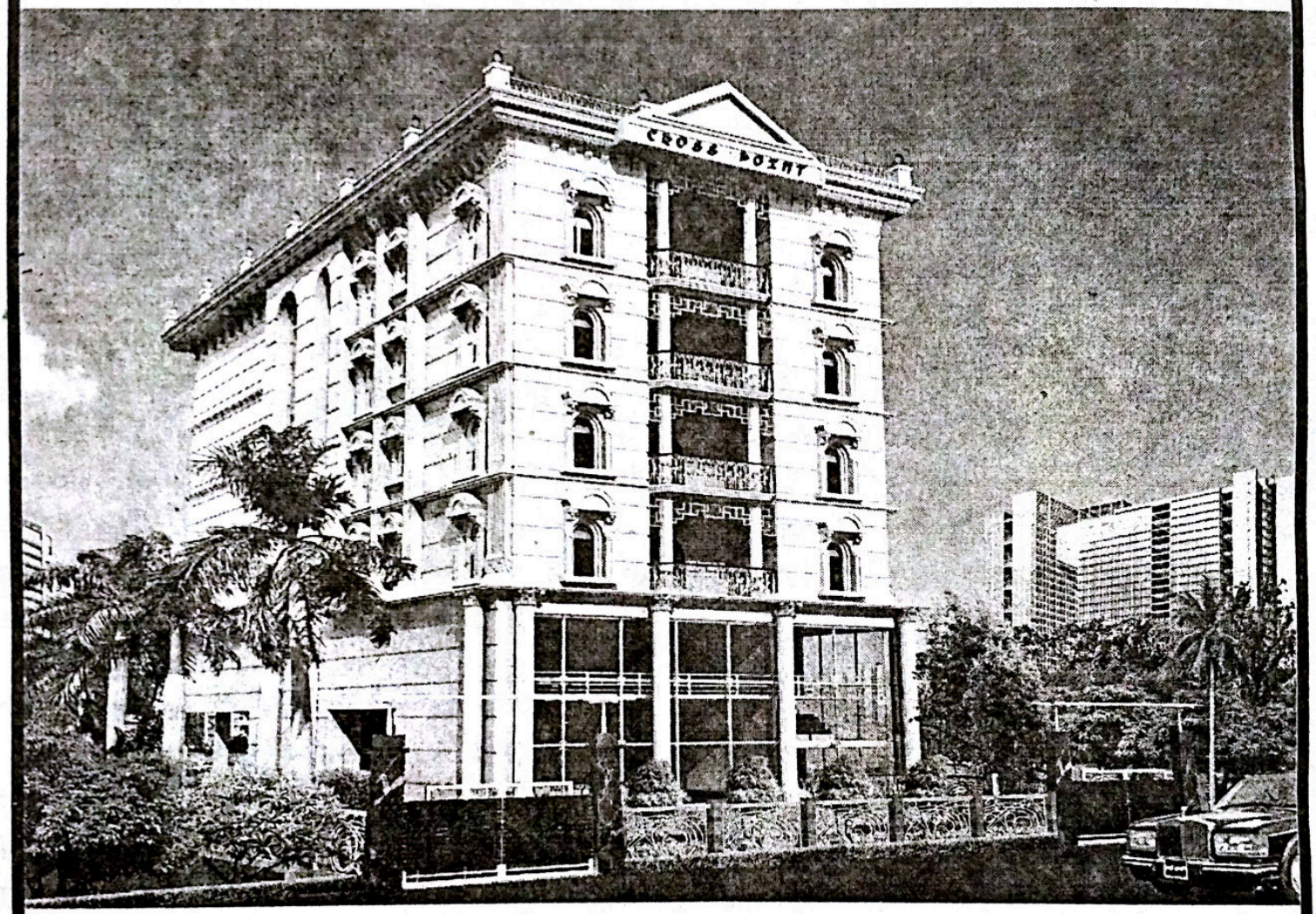

M.D. MR. MUKHTAR AHMED MOBILE NO. : 9820127170

385, Sane Guruji Marg, Next to I.T.I College (Ghass Gali), Mumbai-400011

Tel. No. : 23482660/23482688/23482762

Fax : 23484245

नवाब उमदतुल उमरा का जवाब

इस पत्र में नवाब उमदतुल उमरा ने वेल्सली को लिखा–"मैं नहीं समझ सकता कि आपने किन बातों की बिना पर यह राय क़ायम की है कि मेरी स्थिति ख़राब या कमज़ोर है, न मुझे उन बातों को जानने की आवश्यकता है । मेरे लिए यह जानना काफ़ी है कि मेरा कारबार कम से कम इतना अच्छा ज़रूर चल रहा है कि बख़ूबी ठीक समय पर अपने वादों को पूरा कर सकता हूं ।

"मैं आपको निहायत साफ़ शब्दों में एक नरेश के वचन और ईमान पर विश्वास दिलाता हूं कि जो ज़िले सन 1792 की संधि के अनुसार (आपकी रक़म की अदायगी के लिए) अलग कर दिये गये हैं, उनमें से एक फुट ज़मीन भी किसी तरह पर, किसी ज़रिये से खुद या दूसरों की मारफ़त किसी भी शख़्स के नाम न मैंने रहन वग़ैरह की है और न मेरे इल्म में किसी दूसरे ने की है, इस तरह संजीदगी के साथ और साफ़-साफ़ शब्दों में यह ऐलान करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है ।" अपने पिता की मरते समय की आज्ञा का हवाला देते हुए नवाब उमदतुल उमरा ने वेल्सली को लिख दिया था कि पिछली संधि को तोड़कर अब मैं कोई नयी संधि हरगिज़ मंज़ूर नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना "हर तरह के दीन और ईमान के ख़िलाफ़ है ।"

इसके बाद अंग्रेज़ों की हाल की विजय पर वेल्सली को बधाई देते हुए नवाब ने लिखा कि कर्नाटक का वह इलाक़ा, जो हैदर अली ने छीन कर अपने राज में मिला लिया था और जिसे अब अंग्रेज़ों ने टीपू से फ़तह कर लिया है, कर्नाटक को वापस मिल जाना चाहिए । यह वही इलाक़ा था जो हैदर अली से सुलह करते समय अंग्रेज़ों ही ने अपने मित्र कर्नाटक के नवाब से लेकर हैदर अली को दे दिया था । पत्र के अंत में नवाब ने वेल्सली से प्रार्थना की कि चूंकि कर्नाटक की सब्सीडियरी सेना ने भी इस युद्ध में भाग लिया है, इसलिए इन्साफ़ यह है कि टीपू से जीते हुए मुल्क में से अपनी सेना के ख़र्च के औसत से कर्नाटक को भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए ।

निस्सन्देह नवाब उमदतुल उमरा का उत्तर और उसकी मांग, सब न्यायानुकूल थीं । किंतु उनके औचित्य को स्वीकार करना उस समय कंपनी के लिए लाभदायक न था । वेल्सली समझ गया कि इस ढंग से कर्नाटक पर क़ब्ज़ा करना असंभव है । उसने नवाब के इस पत्र का उत्तर तक न दिया ।

नवाब से राज छीनने का इंगलिस्तान से आदेश

उधर इंगलिस्तान के शासक भी कर्नाटक की स्वाधीनता का ख़ात्मा करने के लिए अधीर हो रहे थे । 21 मार्च सन 1799 को इंगलिस्तान के भारत मंत्री डंडास ने वेल्सली के नाम एक पत्र लिखा, जो 5 अगस्त 1799 को कोलकाता पहुंचा । इस पत्र में डंडास ने वेल्सली को लिखा कि–"कर्नाटक के नवाब के साथ हमारी जो संधियां हो चुकी हैं उनसे इस समय हम मज़बूर हैं, फिर भी आप मुनासिब मौक़े की ताक़ में रहिये और नवाब को खुश करने इत्यादि के ऐसे उपाय काम में लाइए जिनसे हमारी दिली इच्छा पूरी होने की अधिक संभावना हो ।"*

*Right Honorable Henry Dundas to Earl of Mornington, 21st March 1799.

प्रो॰ मुहम्मद क़मरुज़्ज़मा

9826809922
9826689853

पापुलर ट्रेवल्स

लग्जरी बस सेवा 2/2 (स्लीपर) के लिए सम्पर्क करें ।

अम्बिकापुर से बिलासपुर	रात्रि	23:20
अम्बिकापुर से रायपुर	प्रात:	03:00
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	21:30
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	22:25
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	22:30
मननगढ़ से डाल्टेनगंज	रात्रि	19:10
अम्बिकापुर से मननगढ़	संध्या	05:00
अम्बिकापुर से चीरमीरी	प्रात:	06:30
अम्बिकापुर से मननगढ़	संध्या	16:10
रायगढ़ से डाल्टेनगंज	रात्रि	21:40

राम मंदिर के पास, अम्बिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)

"अल्लाह उस आदमी के साथ दयालुता का मामला करेगा जो क्रय-विक्रय और क़र्ज़ का तक़ाज़ा करने में नरमी और शालीनता बरते।" (हदीस)

Abdul Malik **9845311911**

UNIQUE CREATIONS

Spl. in Unipole & Structure Hoarding

#4, Bldg NO. 29/35, 1st Main Road,
Opp. Masjid-e-Husna, SRK Garden,
Jayanagar East, Bangalore-560041
E-mail : uniquecreations2008@gmail.com

बदलाव

मैं उन राजनेताओं और धार्मिक चरमपंथियों को समझाना चाहता हूं जिन्हें इस मुद्दे पर ध्रुवीकरण की उम्मीद है । आम हिन्दू और मुसलमान की धर्म के प्रति आस्था है, पर इसके लिए साम्प्रदायिक टकराव अब उन्हें मंज़ूर नहीं है । उन्हें पूरा एहसास है कि उकसावे की क़ीमत उन्हें ख़ुद अदा करनी पड़ती है । उन्होंने यह बात समझ ली है कि ग़रीबी साम्प्रदायिक नहीं होती । उनकी सोच में आया यह असाधारण परिवर्तन ही आज हमारी ताक़त है । यह बात हमारे नेता व धर्म के तथाकथित ठेकेदार समझ नहीं पा रहे हैं । इसीलिए उन्हें 1992 से 2010 के बीच का बदलाव भी समझ में नहीं आ रहा है । इसी 30 सितम्बर को न्यायालय का फ़ैसला आने से पहले तक तरह-तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं । देश-दुनिया की नज़र इसी फ़ैसले पर टिकी हुई थी । एक अजीब-सी सनसनी और कुतूहल का माहौल था । किन्तु फ़ैसले के बाद से अभी तक समाज के सभी वर्ग के लोगों ने अभूतपूर्व संयम दिखाते हुए सभी आशंकाओं को निर्मूल कर दिया है ।

(रणविजय सिंह, राष्ट्रीय सहारा, 9 अक्तूबर 2010)

सिद्धांतहीन

जब कोई पार्टी, सिद्धांतहीन सौदेबाज़ी और जोड़-जुगाड़ से सत्ता हासिल करती है, तो अपने ऊपर भुगतान के तरह-तरह के दावे भी पैदा करती है । झारखंड गवाह है कि भाजपा को इन हथकंडों से अब रत्तीभर परहेज़ नहीं रह गया है । कर्नाटक का मौजूदा राजनीतिक संकट इसी अवसरवादिता की एक कड़ी है । येदियुरप्पा ने यदि दलबदल कराकर सरकार बनायी थी तो वह दलबदल के चलते ही अपनी सरकार गंवा भी सकते हैं ।

(राजेन्द्र शर्मा, राष्ट्रीय सहारा, 8 अक्तूबर 2010)

आईना

सुनने में यह घटना भले ही मामूली जान पड़ती हो, लेकिन यह किसी राष्ट्र या समाज के चरित्र और सोच की तरफ़ इशारा करती है । जो युवा वॉलंटियर्स कॉमनवेल्थ से वर्दी और जूते लेकर ग़ायब हो गये, वे इस समाज से अलग नहीं रहते । उनके मां-बाप ने इसके लिए उन्हें लज्जित नहीं किया । उनके दोस्तों ने उन्हें शेम-शेम नहीं कहा । संभवत: वे इस चालाकी पर प्रसन्न हुए होंगे कि किस तरह बिना कोई काम किये उन्होंने अपने लिए कुछ शानदार चीज़ें झटक लीं ।

(मंजरी चतुर्वेदी, नवभारत टाइम्स, 8 अक्तूबर 2010)

चुनौतियां

आज जो विकसित देश भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में उभरता देख रहे हैं वहीं हमारे लिए चुनौती भी हैं । इस संदर्भ में चीन हमारा निकटस्थ प्रतिस्पर्धी है और हमारे लिए बड़ी चुनौती भी है । यदि भारत को विश्व की तीसरी शक्ति से शक्ति के प्रथम क्रम पर आसीन होना है तो उसे घरेलू स्तर पर धार्मिक कट्टरता, जातिवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी सामाजिक-धार्मिक चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी बिखरी हुई राष्ट्रीय शक्ति को एकीकृत करना होगा । तभी हम आने वाले दशकों में विकास के सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल करने के साथ-साथ विश्व में प्रथम शक्ति के रूप में अपना परचम लहराने में सफल होंगे ।

(डॉ॰ विशेष गुप्ता, दैनिक जागरण, 7 अक्तूबर 2010)

शून्य

भारत में ज़्यादा बड़ा सवाल यह है कि लंबे अरसे से भारतीय साहित्य को नोबेल के उपयुक्त क्यों नहीं माना जा रहा है ? रवींद्र नाथ टैगोर के बाद क़रीब सौ साल की इस अवधि में किसी अन्य भारतीय साहित्यकार की रचनाएं इस क़ाबिल नहीं मानी गयीं कि उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता । अक्सर इसके लिए हमारे साहित्य का अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में समुचित अनुवाद नहीं हो पाने को समस्या बताया जाता है । ...अनुवाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात साहित्य की स्तरीयता और रचनाकार के नज़रिये की है । भारतीय भाषाओं के लेखक ग्लोबल अपील वाले विषयों को अपनी रचनाओं में उठाने में असफल रहते हैं । समाज और संसार के बड़े सरोकारों के संदर्भ से उनमें अपेक्षित गहराई नहीं होना भी एक समस्या हो सकती है ।

(संपादकीय, नवभारत टाइम्स, 9 अक्तूबर 2010)



"पहुंचा दो मेरी ओर से चाहे एक ही आयत क्यों न हो"

–हज़रत मुहम्मद सल्ल॰

कुरआन के महीने में कुरआन पहुंचाएं !

आइये ! अपने फ़र्ज़ मंसबी को अदा करें !!

आइये ! अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की अज़ीम सुन्नत को अदा करें !!!

कुरआन और हदीस से यह बात साबित है कि अब क़ियामत तक कोई नबी या रसूल आने वाला नहीं है । क़ियामत तक आने वाले इन्सानों के लिए अल्लाह तआला मुकम्मल हिदायतनामा "कुरआन मजीद" के तौर पर दे चुका है । अब इस हिदायतनामा यानी कुरआन मजीद को पूरी इन्सानियत तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी मुस्लिम उम्मत की है । क्या हम इस ज़िम्मेदारी को अदा कर रहे हैं ? यदि नहीं तो तुरंत इसकी चिंता करें, इससे पहले कि अल्लाह हम से हिसाब ले।

अत: प्रत्येक मुसलमान यह प्रोग्राम बनाए कि

- वह अपने ग़ैर-मुस्लिम दोस्त या पड़ोसी या जिन ग़ैर-मुस्लिमों से ताल्लुक़ात हों, उन्हें अपने घर आमंत्रित करे और कुरआन मजीद का अज़ीम तोहफ़ा पेश करे ।
- यदि उन्हें घर नहीं बुला सकते हों तो उनके पास जाए और उनकी सेवा में कुरआन मजीद का तोहफ़ा पेश करे ।

SALAAM Centre

Head Office: # 65/1, 1st Main Road, S.R.K. Garden, JAYANAGAR EAST, Bangalore - 41
Branch: G.C., RICH HOMES, RICHMOND ROAD, Bangalore - 25, Cell: 99451 88488, 99451 77477
Email: salaamcentrebangalore@gmail.com www.salaamcentre.org

और क़ानून बदल गया

उल्हास नगर के प्लेटफार्म नं० 1 की सीढ़ियों पर बैठा वह भिखारी एल्मूनियम के कटोरे को रखकर एक ही स्थान पर बैठकर भीख मांगता है । वर्षों से लोगों ने उसे उसी स्थान पर बैठे भीख मांगते देखा है । कभी भी अन्य भिखारियों की तरह प्लेटफार्म अथवा बाज़ार में भीख मांगते नहीं देखा है ।

आज अचानक उसकी तबियत ख़राब हुई और वह सदा के लिए भीख मांगने से मुक्त हो गया । अमरनाथ से लेकर कल्याण तक के भिखारी उल्हास नगर प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो गये और एक मैली-सी चादर नीचे बिछाकर शव को उस पर लेटा कर ऊपर एक सफ़ेद चादर ओढ़ा दी । रोज़ाना लोकल ट्रेन से सफ़र करने वाले व्यापारी रुपया, दो रुपया डालते गये और अंत में जब इतना पैसा हो गया कि उसका अंतिम संस्कार सम्पन्न हो सके । अर्थी बनाकर भिखारी वर्ग उसे उठा कर अंतिम संस्कार के लिए चलने लगे तो सामने एक आर०पी०एफ० एवं एक जी०आर०पी० का जवान खड़ा होकर डंडा ऊपर घुमाकर एक साथ बोले पहले इसका पोस्टमार्टम होगा, फिर पंचनामा बनेगा, तब जाकर तुम इसका अंतिम संस्कार कर सकते हो ।

भिखारी काफ़ी गिड़गिड़ाए, किन्तु दोनों एक ही बात दोहराते रहे हैं कि यह आर०पी०एस० का क़ानून है इसे हम तो क्या देश का राष्ट्रपति भी नहीं बदल सकता । काफ़ी देर गिड़गिड़ाने के बाद एक भिखारी सामने आया । उसने दोनों को मुट्ठी में कुछ थमा दिया । फ़ौरन दोनों ने डंडे हवा में लहराये और कहा अब की बार छोड़ देते हैं । आइंदा ऐसा मत करना । जिस क़ानून को देश का राष्ट्रपति भी नहीं बदल सकता था, उस क़ानून को दो छोटे नोटों ने बदल दिया !

● शफ़ीक़ पलसावी

पहचान

मुख्यमंत्री जी मूर्ति के अनावरण के लिए जा रहे थे । उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें घेरे में लेकर चल रहे थे कि पहले से घात लगाए बैठे आतंकवादियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया था । मुख्यमंत्री जी का बालबांका भी नहीं हुआ था । हां, दो सुरक्षाकर्मी ज़ख़्मी ज़रूर थे, लेकिन यह देश की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह ज़रूर था ।

प्रदेश के आला अफ़सरों ने आतंकवादियों को चौबीस घंटों में पकड़ने या मारने की घोषणा कर दी थी । और चौबीस घंटे ही क्यों यह तो आश्चर्य हो गया कि दस घंटे में ही एक आतंकवादी पुलिस की गोलियों से मारा गया था ।

टी०वी० पर एंकर मारे गये आतंकवादी का चेहरा दिखा रही थी और पुलिस अधिकारियों की शान में क़सीदे कस रही थी कि...कि बेटी समीना टी०वी० पर आतंकवादी का चेहरा देखकर चीख़ पड़ी थी और अपनी अम्मी से बोली थी, अम्मी...अम्मी... अब्बू आतंकवादी कब से बन गये...अब्बू तो शालें बेचते थे...।

और समीना की मां अपने भोले-भाले पति को टी०वी० पर मारे गये आतंकवादी के रूप में देखकर हमेशा-हमेशा के लिए शांत हो गयी थी ।

● डॉ० पूरन सिंह

'कान्ति' साप्ताहिक के लिए संवाददाताओं की आवश्यकता है

'कान्ति' साप्ताहिक हेतु हिन्दी भाषी प्रदेशों–दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, म०प्र० और छत्तीसगढ़ में प्रत्येक ज़िला, तहसील और अनुमंडल स्तर पर संवाददाताओं की आवश्यकता है । रचनात्मक और दिशापरक पत्रकारिता के इच्छुक केवल वे ही सज्जन अपने बायोडाटा भेजें, जो कम से कम समाचार, रिपोर्ट आदि लिख सकते हों । कृपया बायोडाटा (जिसमें लेखन की योग्यता का उल्लेख ज़रूर हो) अपने दो फ़ोटो के साथ भेजें, जो 30 नवम्बर 2010 तक 'कान्ति' कार्यालय पहुंच जाए । पता है–

डॉ० मुहम्मद अहमद
संपादक
'कान्ति' साप्ताहिक
डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नयी दिल्ली-25

हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) कहते हैं कि मैंने नबी (सल्ल०) से पूछा : "कौन-सा कर्म अल्लाह तआला को सबसे बढ़कर प्रिय है ?" आप (सल्ल०) ने कहा : "नमाज़ उसके अपने समय पर पढ़नी ।" मैंने कहा, फिर कौन-सा ? आप (सल्ल०) ने कहा : "माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना ।" फिर कौन-सा ? आप (सल्ल०) ने कहा : "अल्लाह की राह में जिहाद करना ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

A WELL WISHER
MUMBAI

प्राकृतिक धर्म–इस्लाम

❖ मौलाना मुहम्मद जिरजीस करीमी

(गतांक से आगे)

इस्लाम के प्राकृतिक धर्म होने का एक प्रमाण सफ़ाई के बारे में इसकी शिक्षाएं हैं । मनुष्य स्वाभाविक रूप से गन्दगी को नापसन्द और सफ़ाई-सुथराई को पसन्द करता है। सफ़ाई के विभिन्न पहलू और अवसर हैं, जैसे घरों, रास्तों, शरीरों और कपड़ों को साफ़ रखना, इसी प्रकार बाहरी अंगों को धोना । मानव शरीर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सफ़ाई की मांग करती है–जैसे दांत साफ़ रखना, नाख़ून काटना, कुल्ली करना, नाक साफ़ करना, पेशाब-पाख़ाने के बाद संबंधित अंग को अच्छी तरह धोना, मूंछ के बढ़े हुए बाल काटना, बग़ल और नाफ़ के नीचे के बालों को हटाना और सफ़ाई करना आदि ।

इस्लाम में इन कामों को अच्छी आदतों में से बताया गया है और सफ़ाई को आधा ईमान ठहराया गया है । इसे इस्लाम में कितना महत्व दिया गया है इसका अंदाज़ा इस हदीस से अच्छी तरह किया जा सकता है–"अल्लाह तआला पाक है और पाकी को पसन्द करता है । सफ़ाई वाला है और सफ़ाई को पसन्द करता है, इसलिए तुम अपने घर आंगन को साफ़-सुथरा रखा करो ।"

विभिन्न धर्मों में मुर्दों की अन्तिम क्रिया के अलग-अलग तरीक़े प्रचलित हैं । कुछ में उन्हें नदी में बहा दिया जाता है, कुछ में आग में जला दिया जाता है । इस्लाम में मुर्दों को अच्छी तरह नहला कर और नये कपड़े पहना कर पूरे सम्मान के साथ ज़मीन के नीचे गाड़ने का तरीक़ा बताया गया है । यह तरीक़ा प्रकृति के साथ सामंजस्य रखता है । आज जबकि वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है, उसमें और वृद्धि करने का तरीक़ा किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त अपने मरने वालों को जलता देखना भी घर वालों के लिए बड़ा कठिन होता है । इसमें बेपरदगी भी एक समस्या होती है, विशेष रूप से अगर मरने वाली कोई महिला हो । इसी प्रकार नदी में बहाने के बाद मुर्दे का जो परिणाम होता है वह घर वालों के लिए किसी भी प्रकार संतोष का कारण नहीं होता है ।

मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छाई, सुधार और न्याय को पसन्द करता है और बुराई, बिगाड़, अन्याय एवं अत्याचार को नापसन्द करता है । यही कारण है कि इस्लाम ने लोगों को भलाई, सुधार, न्याय और शान्ति के निर्माण का आदेश दिया है और बुराई, बिगाड़, अशांति, अन्याय एवं अत्याचार से रोका है ।

"अल्लाह न्याय एवं भलाई और नातेदारों का हक़ अदा करने का आदेश देता है और बुराई, अश्लीलता, अत्याचार और ज़्यादती से रोकता है । वह तुम्हें सदुपदेश देता है, ताकि तुम शिक्षा लो ।" (क़ुरआन, 16:70)

न्याय के दायरे विभिन्न हैं । देश, नगर, समाज, परिवार, व्यक्ति का निजी जीवन, प्रत्येक दायरे में इस्लाम ने न्याय का आदेश दिया है । यहां तक कि वह किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं देता कि वह किसी अन्य व्यक्ति से मात्र घनिष्ठ संबंध होने के आधार पर न्याय की अपेक्षाओं को पूरा न करे ।

"हे ईमान लाने वालो, इन्साफ़ के ध्वजावाहक और अल्लाह के लिए गवाह बनो । यद्यपि तुम्हारे इन्साफ़ और तुम्हारी गवाही स्वयं तुम्हारे अपने या तुम्हारे माता-पिता और तुम्हारे नातेदारों के विरुद्ध ही क्यों न पड़ती हो ।"

(क़ुरआन, 4:135)

न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है कि अत्याचार मिटे । इसलिए इस्लाम में अत्याचार की बड़ी निंदा की गयी है और इससे दूर रहने की ताकीद की गयी है । इस बारे में इस्लामी शिक्षाएं केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं कि उसने दूसरों पर अत्याचार करने से रोका है, बल्कि वह अपने मानने वालों को इसके लिए भी प्रेरित करता है कि अगर दुनिया के किसी भाग में मानव समुदाय पर अत्याचार हो रहा हो और वे स्वयं अत्याचार को मिटाने का सामर्थ्य नहीं रखते हों, तो उनकी सहायता की जाए और उन पर होने वाले अत्याचार को रोका जाए–"आख़िर क्या कारण है कि तुम अल्लाह के मार्ग में उन बेबस पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के लिए न लड़ो जो निर्बल पाकर दबा लिए गये हैं और फ़रियाद कर रहे हैं कि हे प्रभो हमको इस बस्ती से निकाल, जिसके लोग ज़ालिम हैं और अपनी ओर से हमारा कोई समर्थक और सहायक पैदा कर दे ।" (क़ुरआन, 4:75)

इस्लाम में अत्याचार को मिटाने के लिए कुछ अपराधों पर मृत्यु दंड जान के बदले जान और अर्थ दंड की धाराएं रखी गयी हैं और इनके प्रमाण के लिए सभी अदालती नियमों और क़ानूनों के पालन का आदेश दिया गया है । इनमें एक बहुत ही बुनियादी नियम यह है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अपराध का बोझ नहीं उठाएगा और न किसी अपराधी का दंड किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा । अगर किसी व्यक्ति के अपराध की सज़ा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाती तो यह प्रकृति के विरुद्ध होता, जिसको मानव स्वभाव स्वीकार नहीं करता ।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी आवश्यकताएं एक दूसरे के सहयोग से पूरी होती हैं । प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूप से दूसरे का मुहताज है । यही कारण है कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को सभी धर्मों और सभी क़ौमों के लोगों से समान रूप से संपर्क बनाए रखने की अनुमति दी है–"अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इन्साफ़ का बर्ताव करो, जिन्होंने धर्म के मामले में तुम से युद्ध नहीं किया है और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है । अल्लाह इन्साफ़ करने वालों को पसन्द करता है ।" (क़ुरआन, 60:8)

दूसरे धर्मों के मानने वालों से संबंध के विभिन्न पहलू हैं । पारिवारिक संबंध (अगर एक ही परिवार के कुछ लोग मुसलमान हों और कुछ दूसरे धर्म पर हों), सामाजिक संबंध, व्यावसायिक और व्यापारिक संबंध, सामान्य मानव संबंध । इनमें प्रत्येक पहलू के बारे में इस्लाम में निर्देश मौजूद हैं । दाम्पत्य संबंध के बारे में कुछ सीमाएं हैं, जिनके निहित उद्देश्य हैं । अन्य क्षेत्रों में ग़ैर मुस्लिमों से संबंध बनाए जा सकते हैं । इस्लाम की ये शिक्षाएं प्रकृति के अनुरूप हैं ।

वर्तमान समय में इस्लाम के कुछ नियमों को आलोचना का विषय बनाया जाता है और इन्हें अविवेकपूर्ण बताने का प्रयास किया जाता है । जैसे जान के बदले जान का नियम, मृत्यु दंड, पुरुषों को चार शादियों की अनुमति, उत्तराधिकार, गवाही में पुरुषों और महिलाओं का अन्तर और तलाक़ आदि । जबकि ध्यान दिया जाए ये सारे नियम पूर्णतः बुद्धिसंगत और विवेकपूर्ण हैं ।

जान के बाद जान के संबंध में मानव इतिहास का अध्ययन किया जाए तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि यदि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए तो उसके वारिसों और निकट संबंधियों में बदले की तीव्र भावना उभरती है और हत्या एवं रक्तपात का सिलसिला चल पड़ता है । इस्लाम ने इस सिलसिले को मात्र एक जान के नुक़सान तक सीमित करके मनुष्य की स्वाभाविक बदले की भावना की तृप्ति की है । इस्लाम मृतक के वारिसों को यह अधिकार देता है कि वे हत्यारे की भी हत्या किये जाने की मांग करें या अर्थदंड लेकर उसकी जान बख़्श दें । इसी प्रकार इस्लाम के अन्य नियमों का उद्देश्य भी अपराधियों को सबक़ सिखाना है । सज़ाओं के भय से ही लोग अपराध करने से रुकते हैं । अगर अपराधों पर सज़ा पूर्णतः समाप्त कर दी जाए तो लोगों की जान-माल और इज़्ज़त-आबरू ख़तरे में पड़ जाए ।

जहां तक महिलाओं और पुरुषों के बीच विरासत और गवाही में अन्तर की बात है तो यह भी बुद्धिसंगत है । चूंकि महिलाओं पर वित्तीय बोझ नहीं होता, बल्कि वह पुरुषों पर होता है, इसलिए महिलाओं की विरासत पुरुषों से कम है । दूसरी ओर महिलाएं सामान्यतः भावुक होती हैं और समझ-बूझ एवं स्मरण शक्ति के मामले में भी पुरुषों से निम्नतर होती हैं इसलिए इनकी गवाही आधी ठहरायी गयी है । उनकी गवाही को पूर्णतः अविश्वसनीय नहीं ठहराया गया है ।

जहां तक तलाक़ का संबंध है तो कई बार पति-पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं बन पाता । दोनों का स्वभाव एक-दूसरे के विपरीत होता है । ऐसे में घुट-घुटकर जीवन बिताने से बेहतर है कि तलाक़ देकर दोनों अलग हो जाएं । जिन समाजों में तलाक़ की अनुमति नहीं है, वहां तो ऐसी महिलाओं की हत्या कर दी जाती है या उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है ।

इस्लाम में पूरे जीवन के बारे में आदेश दिये गये हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार उस पर अमल करे । किसी पर उसके सामर्थ्य से अधिक बोझ नहीं डाला गया । ज़कात और हज यहां तक कि रोज़ा में भी हालात के हिसाब से छूट दी गयी है । इस्लाम की ये शिक्षाएं भी प्रकृति के अनुरूप हैं । अगर किसी पर उसकी शक्ति से अधिक बोझ डाल दिया जाता तो वह उसकी पूर्ति करने में असमर्थ होता । सार यह कि इस्लाम की शिक्षाएं प्रकृति के अनुरूप हैं । मनुष्य की भलाई उन्हें अपनाने में है । जो लोग हठधर्मी और पूर्वाग्रह के आधार पर इन पर आपत्ति करते हैं वे वास्तव में अपने स्वभाव से लड़ रहे हैं ।

गुरु मंत्र

■ मुंशी प्रेमचन्द

घर की परेशानियों और निमंत्रणों की कमी के कारण पंडित चिंतामणि के दिल में वैराग जागृत हुआ और उन्होंने दुनिया से संन्यास ले लिया । उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री ने उन्हें उपदेश दिया, ''मित्र, हमारा अच्छे-अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है । ये जब किसी भोले मनुष्य के द्वार पर जाते हैं, तो गिड़गिड़ा कर हाथ नहीं फैलाते और झूठ-मूठ आशीर्वाद नहीं देने लगते कि, ''नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखे, सदा सुखी रहो ।'' यह तो भिखारियों का चलन है । संत लोग द्वार पर जाते ही कड़क कर आवाज़ लगाते हैं, जिससे घर के लोग चौंक पड़ें और बेचैन होकर द्वार की ओर दौड़ पड़ें । मुझे ऐसी दो-चार पुकारें मालूम हैं, जो चाहो स्वीकार कर लो ।

गुदड़ी बाबा कहा करते थे, ''मरें तो माचों मरें'' यह ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों पर गिर पड़ते थे । सुध बाबा की हांक बहुत अच्छी थी–''खाओ-पियो चैन करो, पहनो गहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना !'' नंगा बाबा कहा करते थे–''दे तो दे, नहीं तो दिला दे, खिला दे, पिला दे, सुला दे !'' यह समझ लो तुम्हारी इज़्ज़त बहुत कुछ तुम्हारी पुकार पर है । और क्या कहूं । भूलना मत हम और तुम बहुत दिनों साथ रहे, सैकड़ों खाने साथ खाये । जिस निमंत्रण में हम और तुम पहुंचते तो लाग-डांट से एक दो पत्तल और उड़ा ले जाते थे । तुम्हारे बिना अब हमारा रंग न जमेगा । ईश्वर तुम्हें सदा सुगंध की चीज़ खिलाए ।

चिन्तामणि को उन पुकारों में से एक भी पसन्द नहीं आयी । बोले, ''मेरे लिए कोई दूसरी पुकार सोचो ।''

मोटेराम, ''अच्छा यह पुकार कैसी रहेगी'', ''न दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे ।''

चिन्तामणि–''हां, यह मुझे पसन्द है, तुम्हारा आदेश हो तो इसमें थोड़ा काट-छांट करूं ?''

मोटेराम–''हां-हां करो !''

चिन्तामणि–अच्छा तो इसे इस प्रकार रखो–''न देगा तो हम चढ़ बैठेंगे ।''

मोटेराम (उछलकर) ''नारायण जानता है यह पुकार अपने रंग में निराली है । भक्ति ने तुम्हारे मस्तिष्क को चमका दिया है । भला एक बार ललकार कर कहो तो, देखें कैसे लगते हो ?''

चिन्तामणि ने दोनों कान उंगुलियों से बन्द कर लिए और चिल्लाकर बोले, ''न देगा तो चढ़ बैठूंगा ।'' यह पुकार ऐसी आकाश को चीरने वाली थी कि मोटे राम भी अचानक चौंक पड़े । चमगादड़ घबरा कर पेड़ों से उड़ गये, कुत्ते भौंकने लगे ।

मोटे राम–''मित्र तुम्हारी पुकार सुनकर मेरा कलेजा कांप उठा । ऐसी ललकार कहीं सुनने में नहीं आयी । तुम शेर की तरह गरजते हो । पुकार तो निर्धारित हो गयी अब कुछ अन्य बातें बता दूं, कान देकर सुनो । साधुओं की बोली हमारी बोलचाल से भिन्न होती है । हम किसी को आप कहते हैं और किसी को तुम । साधु छोटे-बड़े, अमीर-ग़रीब, बूढ़े-युवा सबको 'तू' कहकर पुकारते हैं । माता-पिता का अच्छा व्यवहार करते रहना और यह भी न भूलो कि सरल हिन्दी कभी न बोलना, नहीं तो भेद खुल जाएगा । टेढ़ी हिन्दी बोलना, यह कहना कि मां मुझको कुछ खिला दे'', साधुओं की भाषा में ठीक नहीं है । पक्का साधु उसी बात को यूं कहेगा, ''माई मेरे को खाना खिला दे, तेरे को बड़ा धरम होगा ।''

चिन्तामणि ''मित्र, हम तेरे को कहां तक गुण गाएं, तेरे ने मेरे साथ बहुत उपकार किया है ।''

ये उपदेश देकर मोटे राम विदा हुए । चिन्तामणि जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक गांजे-भांग की दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए गांजे का दम लगा रहे हैं । चिन्तामणि को देखकर एक महात्मा

इस्लाम-परिचय
हिन्दी वेबसाइटें
www.islamdharma.org
www.islamicwebdunia.com
www.islamic-videos.com

ने अपनी एक जयकार सुनायी "चल, चल जल्दी लेकर चल, नहीं तो अभी करता हूं बेकल ।"

एक दूसरे साधु ने कड़क कर कहा, "अ-र-र-धम, आ पहुंचे हम, अब क्या है ग़म ।"

अभी यह कड़क आकाश में गूंज ही रही थी कि तीसरे महात्मा ने गरज कर अपनी आवाज़ सुनायी, "देश बंगाला, जिसको देखा न भाला, चट-पट भर दे प्याला ।"

चिन्तामणि से अब न रहा गया, उन्होंने कड़क कर कहा, "न देगा तो चढ़ बैठूंगा ।"

यह सुनते ही साधुजन ने चिन्तामणि का हृदय से स्वागत किया । उसी समय गांजे की चिलम भरी गयी और उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा । बेचारे बड़ी समस्या में पड़े । सोचा अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी पोल खुल जाएगी । मजबूर होकर चिलम ले ली । लेकिन जिसने कभी गांजा न पिया हो वह बहुत प्रयास करने पर भी दम नहीं लगा सकता । उन्होंने आंखें बन्द करके अपनी समझ में तो बड़ी ज़ोरों में दम लगाया । चिलम हाथ से गिर पड़ी, आंखें निकल आयीं । मुंह से विचित्र फुस्स की आवाज़ निकली, लेकिन न तो मुंह से धुएं के बादल निकले और न ही चिलम सुलगी । उनका यह कच्चापन साधु समाज को सहन नहीं हुआ । दो-तीन साधु झिल्ला कर उठे और बड़ी निर्दयता से उनका हाथ पकड़ कर उठा लिया ।

एक महात्मा, "तेरे पर धिक्कार है !"

दूसरे महात्मा, "तेरे को लाज नहीं आती ? साधु बना है मूर्ख ।"

पंडित जी लज्जित होकर पास की एक हलवाई की दुकान के सामने जा बैठे और साधु समाज ने कंजरी बजा-बजाकर यह भजन गाना शुरू किया-

"माया है संसार,
सांवलिया माया है संसार
धर्म-अधर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान व्यवहार
सांवलिया माया है संसार ।

हलाल मांस का ही भक्षण क्यों ?

(पृष्ठ 33 का शेष)

● सारा ख़ून निकालने के लिए यह भी ज़रूरी है कि मस्तिष्क से शरीर का संबंध कुछ देर बाक़ी रखा जाए । इसीलिए एकबारगी जानवर की गर्दन रेत कर शरीर से अलग नहीं कर देते बल्कि मेरूदंड को बाक़ी रखते हैं ताकि एक-एक बूंद निचुड़ कर बाहर आ जाए और रक्त की थोड़ी मात्रा भी अन्दर न रहने पाये ।

● शरीर में हरकत होते रहने के लिए यह ज़रूरी है कि मांसपेशियों के संपर्क (Nervous connection) को बाक़ी रखा जाए । मस्तिष्क की कोशिकाओं से लगातार संदेश आते रहने के नतीजे में जानवर के शरीर में हरकत होती रहती है और इसी हरकत से ख़न निकल कर बाहर आता है । यदि एकबारगी अचानक गला काट कर अलग कर दिया जाए तो ख़ून की बड़ी मात्रा अन्दर रह जाएगी ।

● ज़िब्ह होने के बाद जानवर के शरीर में ख़ून के जो थक्के जम जाते हैं वह उसी स्थिति में मिट सकते हैं जबकि अभी उसकी जान बाक़ी हो और जिस्म में हरकत हो रही हो । यह भी स्पष्ट है कि बंद परिधियों में मौजूद रक्त, रक्त नलिकाओं को काटने से ही निकल सकता है । दिल की धड़कन ज़िब्ह करने के बाद ज़्यादा तेज़ हो जाने के बाद ख़ून भारी मात्रा में बड़ी तेज़ी से दौरा करता है ।

● तेज़ और गहरी सांस चलने के परिणामस्वरूप पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन मिलता रहता है और अम्लीय निष्क्रियता या कोशिकाओं की मानक मात्रा से अम्ल की बढ़ोत्तरी को कंट्रोल करता है ।

ऐसी स्थिति में गोश्त की गुणवत्ता और उसका स्वाभाविक स्वाद बक़रार रहता है । कहने की ज़रूरत नहीं कि ख़ून से पाक गोश्त का जायक़ा भी बेहतर होता है और उसे ज़्यादा दिन सुरक्षित रखने की संभावना भी अधिक रहती है ।

■ संपादन प्रभाग

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **INTEREST-FREE SOCIETY :** Provides short-term loan without interest to needy people.
4. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your cheque/draft in favour of the Society

(Q. Hoda) Chairman — *(Prof. M. B. Zaman)* Secretary

JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क

पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क बौद्धिक सम्पदा अधिकार (इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट) के अन्तर्गत आते हैं ।

पेटेंट

पेटेंट वह व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत किसी भी नवीन खोज से बनने वाले उत्पाद पर सरकार द्वारा एकाधिकार प्रदान किया जाता है । इसके बाद एक निश्चित समय-सीमा तक न तो कोई संबंधित उत्पाद को बना सकता है और न ही बेच सकता है । यदि वह बनाना चाहे तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा और रायल्टी देनी होगी । इसके अलावा प्रोसेस पेटेंट भी होता है जिसका संबंध नवीन तकनीक अथवा किसी उत्पाद को बनाने वाली विधि से होता है । पेटेंट का यह आदेश जिस देश में ज़ारी किया जाता है, उसकी सीमाओं के भीतर ही उसे लागू माना जाता है । अब अनेक बहुपक्षीय समझौतों के विस्तार के साथ पेटेंट व्यवस्था वैश्विक स्वरूप लेती जा रही है ।

कॉपीराइट

किसी मौलिक लेखन, संगीत, कलाकृति, डिजाइन, फ़िल्म अथवा तस्वीरों के लिए हमारे देश में कॉपीराइट की व्यवस्था है । भारतवर्ष में कॉपीराइट को लेकर कॉपीराइट एक्ट 1957 का प्रावधान है । यह अधिकार किसी को भी हस्तांतरित किया जा सकता है । जैसे किसी व्यक्ति को किसी फ़िल्म की रीमेक का अधिकार प्राप्त करना होता है अथवा किसी और की धुन या गीत का इस्तेमाल करना होता है तो उसे इसके लिए अनुमति की आवश्यकता होती है । किसी व्यक्ति की कृति को नैतिक अधिकार के रूप में कुछ क़ानूनी मान्यता भी हासिल है । उसकी कृति का इस्तेमाल करने पर उसे इसके लिए श्रेय दिया जाना चाहिए ।

ट्रेडमार्क

ट्रेडमार्क भी एक प्रकार से बौद्धिक सम्पदा अधिकार है जिसका इस्तेमाल कोई कंपनी या उत्पादक अपने उत्पाद को दूसरों से अलग और विशेष बताने के उद्देश्य से करता है । ट्रेडमार्क का प्रयोग कोई व्यक्ति, व्यावसायिक संगठन अथवा क़ानूनी इकाई अपने उत्पाद या सेवा के लिए करती है । सामान्यत: किसी नाम, वाक्य, लोगों, विशेष चिन्ह, डिजाइन या चित्र को ट्रेडमार्क बनाया जाता है । कंपनी विशेष के सभी उत्पादों पर उसका ट्रेडमार्क लगा होता है ।

हमारे देश में खाद्य उत्पादों में शाकाहारी और मांसाहारी उत्पादों की पहचान के लिए हरे और लाल ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया जाता है । ट्रेडमार्क पंजीकृत और ग़ैर-पंजीकृत दोनों प्रकार के होते हैं ।

● विद्या प्रकाश

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 200 I with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound .scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya".

(Prof Z.H.Khan) Chairman

(Prof M. B. Zaman) Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

AL-HERA LIBRARY

(Run and Managed by **Sabiha Welfare Trust,** Registration No. 5418/4603)

Near Road No. 10, Main Road, Jawahar Nagar, P.O. Azadnagar,
Mango, Jamshedpur-832110, Jharkhand (INDIA)
E-mail : al_hera_library@sify.com, Mob. : 09334634662, 09204000609

APPEAL

An academic library named **"AL-HERA LIBRARY"** was established in 2004 to uplift the education standard in the downtrodden people of the society. Now it is running under **"SABIHA WELFARE TRUST" Regn. no. 5418/4603, PAN No. AAITS2377J.** This is the only academic library in approx. 8 lakhs populated area, it works progressively and achieving its goal day by day. It was started with 75 books only & after 6 consecutive years it reaches 4656 books. But still it requires your support to fulfill the student's requirements. Apart from that library also works for carrier counseling, AIDS awareness, blood donation, quiz contest etc.

The president of the library received **CMD** (chairman and managing director) award 2006 in the category of **"CORPORATE RESPONSIBILITY"** from Cummins in India held at Pune. Visit **(orkut.com>search>type al hera library).**

Here is the kind request to all of you that please bring your hand forward for this noble cause to serve the students for their glorious future and make our country developed and strong through education.

You are requested to send your donations to :
A/C name : SABIHA WELFARE TRUST
Bank name : STATE BANK OF INDIA
Branch : Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand
A/C no. : 30573132872

May Allah give you returns, Inshallah, Ameen

PRESIDENT
MD. SHAHNAWAZ QUAMAR

आकाश में न उड़ सकने वाले पक्षी

■ विद्या प्रकाश

पक्षी ईश्वर की मनोरम और अद्‌भुत रचना है । बाग़-बग़ीचे में चहचहाते विभिन्न रंगों के सुन्दर पंखदार पक्षी जब एक डाल से दूसरे डाल पर फुदक-फुदक कर सुरीली तान छेड़ते हैं, तो किसका मन प्रफुल्ल नहीं होता । पक्षियों का रंग या तो पेड़-पौधों के रंग से मेल खाता है या ज़मीन के रंग से–इसलिए वे सुगमता से नहीं दिखायी देते । इसी कारण अन्य मांसाहारी जीव जन्तुओं से उनकी प्राण रक्षा संभव हो पाती है ।

पक्षियों के अनेक वर्ग पाये जाते हैं जिनमें एक वर्ग है रैटाइटी । इस वर्ग में ऐसे पक्षी पाये जाते हैं, जिनके पंख तो होते हैं मगर जो उड़ नहीं पाते । हमारे देश में ऐसे पक्षी नहीं पाये जाते । न उड़ सकने वाले ऐसे पक्षी उन स्थानों पर पाये जाते हैं जहां पर उनके शत्रु जैसे बिल्ली, भेड़िया वग़ैरह न पाये जाते हों । इस वर्ग के कुछ पक्षियों के बारे में प्रस्तुत है रोचक जानकारी ।

शुतुरमुर्ग़

शुतुरमुर्ग़ संसार में पाये जाने वाले सबसे बड़े जीवित पक्षियों में से एक है । इसकी चार प्रजातियां अफ़्रीक़ा तथा अरब देशों के रेगिस्तानी भू-भागों में पायी जाती हैं । इसकी ऊंचाई 2.5 मीटर तथा वज़न 150 किलोग्राम तक होता है । नर शुतुरमुर्ग़ की पूंछ सफ़ेद और गर्दन काली होती है जबकि मादा अपेक्षाकृत छोटी और स्लेटी या भूरे रंग की पायी जाती है । । यह पक्षी शाकाहारी होता है और 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ़्तार से दौड़ सकता है ।

शुतुरमुर्ग़ में अनेक अनोखी विशेषताएं होती हैं । यह लोहे के छोटे टुकड़ों, बोतलों की टीननिर्मित टोपियों तथा इसी प्रकार की अन्य व्यर्थ की चीज़ों को आसानी से निगल जाता है जो आमाशय में एकत्र होती रहती हैं । यह कुछ दिनों तक बिना पानी पिये भी जीवित रह सकता है । लोगों में यह आम धारणा है कि ख़तरे के समय यह अपने सिर को रेत में दबा लेता है परन्तु यह सच नहीं है ।

यह बालू में अपना घोंसला बनाता है और बहुत-सी मादाएं एक ही घोंसले में अपने अंडे देती हैं । रात के समय अंडों को नर सेता है और दिन के समय मादा सेती है । आकार में इसके अंडे बहुत बड़े होते हैं जिन का वज़न डेढ़ किलोग्राम होता है । ये सजावट के काम में इस्तेमाल होते हैं । इन अंडों को उबालने में लगभग 50 मिनट का समय लगता है ।

रीये

शुतुरमुर्ग़ से मिलता-जुलता एक अन्य रक्षी है रीये जो आकार और क़द में उससे कुछ छोटा होता है । यह दक्षिणी अमेरिका के मैदानी इलाक़ों में पाया जाता है । इसके पंख शुतुरमुर्ग़ की अपेक्षा अच्छे विकसित क़िस्म के होते हैं और इसके गर्दन और सिर पर पंख पाये जाते हैं । इसके शरीर का पिछला भाग मज़बूत होता है जो इसके नहाने या तैरने में मददगार होता है । इसके घोंसले छिछले होते हैं जो ज़मीन पर नर द्वारा घास और पत्तियों की मदद से बनाए जाते हैं । बच्चों के बड़े होने तक भोजन, मनोरंज़न, शत्रु और मौसम से बचाव आदि की सारी ज़िम्मेदारी नर की होती है । नर



NEW EMPRESS MILLS

1st Phase Industrial Area BALOTRA-344022 (Raj.)

Visit us. www.Empress. com. E-mail : empresspoplin@hotmail.com

(M) SAYED PARWAN ALI 09214408133





Superior Nighty



MFG. OF HIGHCLASS STANDARD POPLIN & NIGHTY PRINTS

रीये लगभग 40 रोज़ तक अंडों पर बैठकर उन्हें सेने का भी काम करता है जबकि अन्य जीवों में यह काम मादा अथवा दोनों के ज़िम्मे होता है ।

कीवी

पक्षियों के रैटाइटी वर्ग में कीवी छोटे आकार की चिड़िया है जो न्यूज़ीलैंड तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बहुतायत से पायी जाती है । इसका आकार घरेलू मुर्ग़ी के समान होता है । यह रात्रिचर पक्षी है तथा इसका भोजन केंचुआ या अन्य नन्हें कीट हैं । इसका सिर तथा आंखें छोटी होती हैं तथा पूंछ पर पंख नहीं पाये जाते । मादा नर से आकार में बड़ी होती है । यह अपना घोंसला बिलों में घास से बनाता है जिसमें मादा 2 अंडे देती है । कीवी के अंडे उसके शरीर की तुलना में बड़े-बड़े तथा वज़न कीवी के वज़न से चौथाई होता है । इसके अंडे नर द्वारा सेये जाते हैं ।

पेंग्विन

इसी वर्ग में आने वाला पेंग्विन जलीय पक्षी है । इसका अग्रपाद फ्लैपर में 'रूपांतरित हो जाता है जो ठंडे पानी में तैरने के काम आता है । यह पक्षी दक्षिणी गोलार्द्ध के शीत पथरीले अंटार्कटिका प्रदेश में पाया जाता है । यह ठंडे पानी में कूदकर अपना प्रिय भोजन–मछली पकड़ता है । इसकी ऊंचाई 19 इंच होती है और रंग नीला-काला होता है । अधिक ठंड में मादा पेंग्विन अंडा देने में असमर्थ होती है । अपने अंडों को पेंग्विन (नर एवं मादा) पैरों के मध्य रखता है ।

इनके अलावा इस वर्ग के न उड़ सकने वाले अन्य पक्षियों में इमस, केसोवरी, आर्क आप्तिरकस, हैस्पेरोनिस, डायाट्रीमा, मोआज तथा एपिआरनिस आदि प्रमुख हैं ।

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली–6 से मुद्रित ।
फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

With best compliments from:

Ph: 0651-2330144, 2330604
Mo. 09334706965

Azad Pharma
formerly
Azad Pharmacy

Timing :
10:00 a.m. to 09:00 p.m.

Sunday
Closed

B-7, Sainik Market, Main Road, Ranchi-834001 (Jharkhand)

TANWAR HOSPITAL

(CRITI CARE AND MATERNITY CENTRE)

P. K. ROAD, THANE, MAHARASHTRA

DR. M. A. TANWAR
(M. D. MEDICINE)
Internist
&
Intensivist

WE ARE OFFERING THE BEST UNIQE AND WELL EQUIPPED CLEAN AND SPACIOUS HOSPITAL CARE AND INTENSIVE CARE UNIT THAT CAN PROVIDE

ALL MEDICAL FACILITIES LIKE

- INTENSIVIST-CRITICAL CARE PHYSICIAN
- AVAILABLE 24 HORS.
- ADVANCES VENTILATOR (LIFE SAVING MACHINE)
- MULTIPARA CARDIAC MONITOR
- ARTERIAL BLOOD GAS AND ELECTROLYTE ANALYSIS
- ALL BLOOD TEST AND X-RAY AVAILABLE
- SPACIOUS LOBBY FOR RELATIVES COMFORT
- FULL FLEDGE WELL EQUIPPED OPERATION THEATRE
- CASHLESS ADMISSION AND MEDICALAIM
- FACILITIES FOR ALL MAJOR TPA'S

TANWAR TOWER, OPP. SONALI HOTEL, P. K. ROAD,
OFF MIRA BHAYANDAR ROAD, MIRA ROAD (E), THANE (MAHARASHTRA)
TEL. : 28552002, 28127304, CELL. : 9820520198/9322510406
FAX : 28114700, MORNING 10.00 TO 12.00 A. M.

Posted on 20-21 October 2010
November 2010
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.10.2010

हिन्दी साहित्यों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2009-2011
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2009-11

जो कोई अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल०) की आज्ञा का पालन करे और अल्लाह से डरे और उसकी सीमाओं का ख़्याल रखे, तो ऐसे ही लोग सफल हैं । (क़ुरआन, 24:52)

Best compliments from :

PROP. AZIZUR RAHMAN

City Makers



Tel. : 22851438
22045328

फ्लैट एवं मकान ख़रीदने के लि

सिटी मेकर बिल्डर प्रा० लि०

सम्पर्क करें : 6/D, मेट्रो हाउस, निकट रीगल सिनेम
कोलाबा, मुंबई-400001 (महाराष्ट्र)